कृषि विश्लेषण जल प्रबंधन

कुल पृष्ठ: 40

स्वदेशी पत्रिका

मूल्य 15/–रु.

मार्गशीर्ष–पौष 2079, दिसंबर 2022

डाटा संप्रभुता की दरकार

स्वदेशी गतिविधियां

स्वावलंबी भारत अभियान

जिला रोजगार सृजन केंद्र

सचित्र झलक

जयपुर, राजस्थान

मथुरा, उ.प्र.

प्रयागराज, उ.प्र.

तिरुनेलवेली, तमिलनाडु

भदोही, उ.प्र.

मैनपुरी, ब्रज प्रांत

लखनऊ, उ.प्र.

शाहजहांपुर, उ.प्र.

स्वदेशी पत्रिका

वर्ष–30, अंक–12
मार्गशीर्ष–पौष 2079 दिसंबर 2022

संपादक
अजेय भारती

सह–संपादक
अनिल तिवारी

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन
सुदामा दीक्षित

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022
से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595

स्वदेशी जागरण समिति की ओर से डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

पाठकनामा/उन्होंने कहा **4**
समाचार परिक्रमा **35-38**

तृतीय मुख्य पृष्ठ **39**
चतुर्थ मुख्य पृष्ठ **40**

अनुक्रम

आवरण कथा – पृष्ठ–06

डाटा संप्रभुता की दरकार

डॉ. अश्वनी महाजन

1 मुख्य पृष्ठ
2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ

08 विश्लेषण
सिकुड़ते संसाधनों के बीच आबादी आठ अरब के पार ..... अनिल तिवारी

11 जीएम फसलें
फिर से पीली क्रांति की दरकार ..... देविन्दर शर्मा

13 जीएम फसलें
आनुवांशिक संशोधन का वैज्ञानिक पक्ष ..... विनोद जौहरी

16 बीच–बहस
क्या कबाड़ बन जाएगा सरसों का साग? ..... स्वदेशी संवाद

19 जीएम फसलें
मधुमक्खियों को बचाओ ..... प्रो. ओपी चौधरी

21 आजकल
चीन में अनहोनी की सुगबुगाहट ..... के.के. श्रीवास्तव

23 जल प्रबंधन
भारतीय भू–जल की वास्तविकता ..... अनिल जवलेकर

25 विचार
भारत के आर्थिक विकास में जनजाति समाज का है भरपूर योगदान ..... स्वदेशी संवाद

27 योजना
प्रधानमंत्री आवास योजनाः ग्रामीण व शहरी सभी के लिए आवास ..... शिवनंदन लाल

29 बीच–बहस
रोजगार के बरक्स ..... स्वदेशी संवाद

30 चिंतन
आर्थिक दृष्टि से अगली सदी होगी भारत की ..... प्रहलाद सबनानी

32 संविधान
संविधान दिवस पर विशेषः संविधान–भारतीय जीवन दर्शन का ग्रंथ ..... हेमेंद्र क्षीरसागर

पाठकनामा

मुरझाता बचपन

वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया की भागदौड़ से भरी व्यस्त जिंदगी में बच्चों के लिए साथ बिताने का समय लोगों के पास नहीं है। लोग चाहकर भी बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं। रिश्तेदारी तक का व्यावहारिक ज्ञान भी पीछे छूट गया है। कहानी से कल्पना की उत्पत्ति होती है और मातृत्व दुलार भी सही तरीके से प्राप्त होता है, अब यह चिंता सताने लगी है कि कहीं कहानियां सुनने–सुनाने की प्रथा ही खत्म हो जाए। अगर ऐसा होता है तो बच्चे लाड–प्यार की कहानी से भी वंचित हो जाएंगे। दरअसल तकनीकी, मोबाइल और इंटरनेट ही बच्चों का सहारा बन गए हैं। अभिभावकों को भी चाहिए कि बच्चों के लिए अपनी भागदौड़ भरी व्यस्त जिंदगी से कुछ समय बच्चों को घर पर कहानियां सुनाने के लिए भी निकालें। जिसने अभी बैठना सीखा नहीं, वह भी मोबाइल का दीवाना दिखता है। बच्चे शारीरिक, बौद्धिक विकास के साथ खिलौने की दुनिया बिल्कुल भूल गए हैं। माताएं भी बच्चों को मोबाइल देकर निश्चित हो जा रही हैं।

मोबाइल के बढ़ते प्रचलन से कई तरह की शारीरिक बीमारियां तो बढ़ ही रही है, खिलौनों का व्यापार भी प्रभावित हुआ है। कुल मिलाकर शारीरिक, बौद्धिक गतिविधियां कमजोर हो गई है। वहीं लोगों की दिनचर्या भी इंटरनेट के माफिक होती जा रही है, अब व्यक्ति का हर काम मोबाइल से मिले निर्देश के मुताबिक ही होने लगा है। मोबाइल की आभासी दुनिया ने बच्चों को चश्मे चढ़ावा दिए हैं। महानगरों की स्थिति और खराब है। दिल्ली की मेट्रो में हर हाथ में मोबाइल है और यात्रा के दौरान भी हर आदमी की नजरें मोबाइल पर टिकी रहती है। लोगों का ज्यादा समय बस फेसबुक, व्हाट्सएप पर जवाब देने में बीत रहा है। पहले घर के लोगों द्वारा बच्चों को ज्ञानार्जन में उपयोग के लिए तरह–तरह की कहानियां, गीत–संगीत, व्यायाम के लाभ पर ध्यान दिया जाता था। आखिर यह मोबाइल की दुनिया हमें कहां ले जाएगी? रोज–रोज बदलती और आगे बढ़ती 21वीं सदी में मोबाइल का यह प्रयोग हमें जानकारियां चाहे जितनी देता हो लेकिन स्थापित मूल्यों, परंपराओं कथा कहानियां से हमें दूर कर रहा है। हमें इस बारे में भी सोचना चाहिए, नहीं तो वह दिन दूर नहीं कि हमेशा से अपनी खिलखिलाहट से दूसरों का मन मोह लेने वाले, खुश कर देने वाले मासूम बच्चे मुरझा जाएंगे। हमें उनके बचपन को बचाने के लिए कुछ न कुछ तार्किक और व्यवहारिक उपाय करना चाहिए।

शशि मोहन, देहरादून (उत्तराखंड)

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्,

नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेलः

swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्कः 15,00 रुपए

यदि शुल्क जमा करने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740

IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

कहा–अनकहा

समृद्ध जीवन जीने के लिए किसी और के जीवन की नकल से बेहतर है कि भाग्य से मिले अपूर्ण जीवन को संतोष के साथ जिएं।

डॉ. मोहन भागवत

सरसंघचालक, रा.स्व.संघ

युवा हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत हैं। सरकार राष्ट्र निर्माण में उनकी प्रतिभा का सदुपयोग सुनिश्चित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री, भारत

चीन से होने वाले आयात की वजह से प्रभावित हो चुके छोटे उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार प्रोत्साहन की योजना लाई जाए ताकि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिले और रोजगार के लिए पलायन भी कम हो।

डॉ. अश्वनी महाजन

राष्ट्रीय सहसंयोजक, स्वदेशी जागरण मंच

संपादकीय

दंड भी और प्रोत्साहन भी

पंजाब और हरियाणा के किसानों द्वारा पराली जलाने की वजह से हालांकि दिल्ली और पड़ोसी क्षेत्रों हरियाणा और पंजाब की हवा अभी भी विषैली बनी हुई है, लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि हरियाणा में इस बार पराली का जलना 26 प्रतिशत कम हुआ है, जबकि पंजाब के किसानों द्वारा पराली जलाने की प्रवृत्ति बदस्तूर जारी है। सेटेलाईट द्वारा लिये गये चित्रों और अन्य प्रकार से एकत्र की गई वैज्ञानिक जानकारियां इसी ओर इंगित कर रही हैं। वर्ष 2019 के नवंबर माह में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश सरकार को लताड़ लगाई थी कि वे क्यों फसल अवशेष (पराली) को जलाये जाने को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं अपना रहे? कोर्ट ने इन राज्य सरकारों को यह भी कहा था कि पराली नहीं जलाने हेतु किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें प्रति क्वंटल फसल के लिए 100 रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जाये। सुप्रीम कोर्ट की कितनी बात मानी गई, यह तो शोध का विषय हो सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि इस साल अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी 'नासा' के अनुसार 23 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच हरियाणा राज्य में पराली जलाने की घटनाएं पंजाब की तुलना में काफी कम हुई हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के आंकड़ों के अनुसार 1 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच पंजाब में 29780 पराली जलाने की घटनाएं हुई, जबकि हरियाणा में यह मात्र 4414 ही थी। पर्यावरण प्रदूषण (बचाव एवं नियंत्रण) प्राधिकरण ने भी सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि जहां हरियाणा ने पराली जलाने की घटनाओं पर खासा नियंत्रण कर लिया है, पंजाब की इस मामले में स्थिति बहुत खराब है। हरियाणा द्वारा पराली समस्या के नियंत्रण की खबर राहत देने वाली तो है, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि हरियाणा ने इस समस्या का निदान कैसे किया और पंजाब क्यों असफल रहा, उसी से यह समझ में आयेगा कि पंजाब के किसानों की पराली की समस्या का समाधान कैसे होगा?

हरियाणा सरकार ने इस साल 'सुपर एसएमएस' 'रोटा वेटर', 'हैप्पी सीडर' और 'जीरो टिल सीड ड्रिल' नाम की मशीनों का बड़ी संख्या में वितरण किया ताकि किसान पराली जलाने की प्रवृत्ति से बचें। पिछले साल जिन किसानों ने इन मशीनों का उपयोग किया था, उन्हें इससे खासा लाभ हुआ और उनकी पैदावार में भी वृद्धि हुई। इस अनुभव के चलते, अब और अधिक किसान इन मशीनों का उपयोग करने लगे हैं, हालांकि कुछ किसानों का मानना है कि इस मशीन के भारी किराये (2000 रूपये प्रति एकड़) के कारण वे इसका उपयोग नहीं कर पा रहे। लेकिन यह बात सही है कि इन मशीनों के बारे में किसानों को शिक्षित करने के सरकारी प्रयासों और किसानों में पराली के वैकल्पिक उपयोगों की बढ़ती जागरूकता के चलते हरियाणा में यह समस्या घटने लगी है।

हरियाणा सरकार किसानों को कटाई उपरांत पराली को एकत्र करके उसकी गांठे बनाने हेतु प्रति हैक्टर 1000 रूपये की प्रोत्साहन राशि दे ही रही थी, अब खेत पर ही पराली प्रबंधन हेतु 1000 रूपये प्रति हैक्टयर की राशि इस वर्ष से शुरू की गई है। राज्य सरकार सर्वाधिक प्रभावित पंचायतों को भी 10 लाख रूपये पराली न जलाने हेतु प्रोत्साहन राशि के रूप में दे रही है। केवल प्रोत्साहन ही नहीं दंड का प्रावधान भी हरियाणा राज्य में देखा गया है। इस साल अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक पराली जलाने के खिलाफ 1041 चलान काटे गये, जिनमें 26 लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया है। प्रोत्साहन, प्रौद्योगिकी, प्रयोग और दंड, सभी प्रकार के प्रयासों के चलते यह स्थिति बनी है कि जहां 2021 में 26 अक्टूबर तक पराली जलाने के 2010 मामले आये थे, इस वर्ष उस समय तक सिर्फ 1495 मामले की दर्ज हुए थे। यानि 26 प्रतिशत की कमी। यह सही है कि हरियाणा सरकार की दंड और प्रोत्साहन की नीति अभी कामयाब होती दिख रही है। यदि आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि हरियाणा में 2021 से पहले इन घटनाओं में लगातार वृद्धि भी हो रही थी। लेकिन 2021 के बाद ही इन घटनाओं में कमी देखने को मिल रही है। इसका अभिप्राय यह हो सकता है कि हरियाणा सरकार अब इस समस्या को गंभीरता से ले रही है। लेकिन दूसरी ओर पंजाब, जो पूर्व में पराली की समस्या में हरियाणा से बेहतर काम कर रहा था, अब इस मामले में पिछड़ रहा है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा 7 अप्रैल 2022 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पंजाब, हरियाणा, और उत्तर प्रदेश में 2021 में 82533 पराली जलाने के मामले दर्ज हुए जो 2020 से 7.7 प्रतिशत कम थे। इसमें सबसे बेहतर प्रदर्शन पंजाब का था, जहां 2020 में 83002 मामलों की तुलना में 2021 में केवल 71304 मामले ही दर्ज हुए। जहां हरियाणा लगातार पराली की समस्या से मुक्ति की ओर अग्रसर है, वहीं पंजाब की सरकार अभी भी इस मामले में न केवल असमर्थ रही है, बल्कि किसानों की मजबूरी का हवाला देते हुए, इस समस्या से मुहं मोड़ती दिखाई दे रही है। लेकिन हरियाणा का उदाहरण यह इंगित कर रहा है कि पराली जलाने की समस्या असाध्य नहीं है। जरूरत है, तो केवल राजनीतिक इच्छाशक्ति की। भारत के लोग हमेशा आपदा से अवसर तलाशने में माहिर होते हैं। हरियाणा के किसानों द्वारा इस पराली जलाने की घटनाओं में कमी के साथ–साथ उत्पादन में वृद्धि का भी अनुभव आ रहा है। उपयुक्त मशीनों के उपयोग के द्वारा उत्पादन में वृद्धि के साथ किसानों की आमदनी में भी वृद्धि हो रही है। पहले किसानों द्वारा यह समझा जाता था कि पराली को जलाये बिना कोई उपाय नहीं है और इसका प्रबंधन खर्चीला होता है, लेकिन अब उन्हें समझ आने लगा है कि खेत में पराली के प्रबंधन से उनका उर्वरकों, कीटनाशकों और खरपतवरनाशकों का खर्चा कम हो सकता है। पराली से चीनी और इथेनॉल का भी उत्पादन हो सकता है।

डाटा संप्रभुता की दरकार

हाल ही में सरकार द्वारा डिजिटल निजी डाटा संरक्षण विधेयक, 2022 के प्रारूप को साझा करते हुए इस संदर्भ में 17 दिसंबर 2022 तक लोगों से सुझाव मांगे हैं। गौरतलब है कि आज लोगों की निजी जानकारी ऐप्स, वेबसाईट्स, सेवा प्रदाता समेत विभिन्न प्रकार से डिजिटल माध्यमों से साझा की जाती है। हम जानते हैं कि इस डिजिटल युग में जब हम किसी एप्प को डाउनलोड करते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की अनुमतियों को देने हेतु पूछा जाता है। यदि उपभोक्ता इसके लिए मना करता है तो उस एप्प को इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता। यही बात डिजिटल समाचार पत्रों, विभिन्न सेवा प्रदाताओं और अन्य प्रकार की वेबसाइट पर भी लागू होती है।

ऐसे में लोगों की इन निजी जानकारियों का संरक्षण, अथवा उस निजी जानकारी का बिना उनकी सहमति के, अन्य द्वारा प्रयोग प्रतिबंधित करने के लिए एक कानून की जरूरत महसूस की जा रही थी। इस विधेयक में यह प्रावधान रखा गया है कि चाहे किसी व्यक्ति ने पहले से अनुमति ली हुई हो तो भी उसे 'कोन्सेंट मैनेजर' के माध्यम से वापिस लिया जा सकता है। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि 18 साल से नीचे के व्यक्तियों (किशोरों/किशोरियों, बच्चों) द्वारा बिना अभिभावकों की अनुमति के उन ऐप्स अथवा सेवाओं का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस संबंध में एक बोर्ड के गठन का भी प्रावधान रखा गया है जो इस कानून के बारे में संबंधित पक्षों को जानकारी और स्पष्टता प्रदान करेगा। सरकार द्वारा देश की एकता और संप्रभुता, सुरक्षा, अन्य देशों से मित्रतापूर्ण संबंध, या अपराधों हेतु उकसाने को रोकने जैसे मामलों के संदर्भ में, सरकार को इस विधेयक के प्रावधानों से मुक्त रखा गया है।

हालांकि लोगों के निजी जानकारियों की सुरक्षा हेतु किए जा रहे इस प्रयास को सही दिशा में एक कदम माना जा रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इस बिल में काफी सुधारों की गुंजाइश है। इस कानून का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर 500 करोड़ रूपए तक के दंड का प्रावधान रखा गया है। इस विधेयक के आलोचकों का मानना है कि गूगल, फेसबुक, अमेजान और अन्य बड़ी टेक कंपनियों के व्यवसाय को देखते हुए, यह राशि

डेटा का मुक्त प्रवाह विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच एक असममित संबंध बनाएगा और विकासशील देशों की फर्मों को नुकसानदेह स्थिति में डाल देगा। इसलिए, डेटा का विनियमन बहुत महत्वपूर्ण है।

– डॉ. अश्वनी महाजन

कंपनियों के आकार और उनके द्वारा डाटा के दुरूपयोग के माध्यम से की जाने वाली कमाई की तुलना में बहुत कम है। दुनिया के दूसरे कई मुल्कों में कानून के इस प्रकार के उल्लंघन की दंड राशि कंपनियों के लाभों के प्रतिशत के रूप में भी निश्चित की गई है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों का लाभ उठाते हुए हम कानून के उल्लंघन करने वाली बड़ी कंपनियों पर दंड की राशि को उनके लाभों के अनुपात के रूप में तय करना चाहिए।

इस बिल पर आ रही आपत्तियों में एक अन्य आपत्ति यह है कि इस कानून के पालन हेतु जिस बोर्ड का गठन किया जाना है, उसके सदस्यों की संख्या उनकी अर्हता, योग्यता के बारे में इस विधेयक में कुछ नहीं कहा गया है। बोर्ड के मामले में विधेयक का कहना है कि यह कोई नियामक बोर्ड नहीं है। यदि ऐसा नहीं है तो किसी नियामक संस्था का होना भी जरूरी है।

लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत में निजता के बारे में लोग सवेंदनशील हैं? शायद नहीं। हम लोग तो अपनी तमाम निजी जानकारियाँ एक पेट्रोल पम्प पर ही किसी भी अनजान व्यक्ति को भी दे देते हैं। निजता और व्यक्तिगत जानकारियों के प्रति सवेंदनशीलता अभी आना बाक़ी है। लेकिन हमें समझना होगा कि हमारी निजी और ग़ैर निजी जानकारियों का ख़ासा आर्थिक महत्व है। आज के युग में डाटा की उपयोगिता और उसके महत्व को कम नहीं आंका जा सकता। आज हम औद्योगिक क्रांति 4.0 के मध्य में हैं। डाटा के उपयोग से कृत्रिम समझ बुद्धिमत्ता के दम पर वो किया जा सकता है जो अभी तक मानव मस्तिष्क नहीं कर पाया है। आज पूरी दुनिया की शक्तियां इस डाटा को कब्जाने की फिराक में बैठी हैं और इसके लिए सभी मार्ग तलाशे जा रहे हैं।

सवाल विदेशों में डाटा भेजने और उसकी संप्रभुता का

भारत में लगभग 80 करोड़ लोग आज स्मार्टफोन के बलबूते विभिन्न प्रकार की एप्स का उपयोग कर रहे हैं। इसी क्रम में बड़ी ई–कॉमर्स कंपनियां, गूगल सरीखे सर्च ईंजन एसं जीओ मैपिंग, ई–कॉमर्स कंपनियां, सोशल मीडिया कंपनियां आदि लोगों के निजी डाटा, उनकी आदतों, उनके सामाजिक संबंधों, उनके वित्तीय व्यवहार और खरीद–फरोख्त समेत विभिन्न प्रकार के डाटा को सवंर्धित कर अपनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए आई) शक्ति को लगातार बढ़ा रही हैं और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने की कोशिश कर रही हैं। उपयोगी डाटा का वितरण अत्यधिक असमान है। जब वैश्विक शक्तियाँ इस डेटा को हासिल करने के लिए सभी रास्ते तलाश रही हैं। भारत को न केवल देश में उत्पादित डेटा का स्वामी होने की आवश्यकता है; लेकिन हमारे देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर डेटा की गणना करने की भी आवश्यकता है।

लोगों का डाटा और उसके माध्यम से उन्हीं का शोषण, यह आज के डाटा अर्थव्यवस्था की खासियत बन रही है। जरूरत है एक ऐसे कानून की जिसके माध्यम से देश के डाटा पर देश का संप्रभु अधिकार हो। साथ ही साथ उस डाटा को सवंर्धित कर कृत्रिम बुद्धिमत्ता और विभिन्न प्रकार की अन्य जानकारियों पर बड़ी टेक कंपनियों, ई–कॉमर्स कंपनियां और सोशल मीडिया कंपनिया का एकाधिकार होने से रोका जाए। हमें समझना होगा कि निजी डाटा का ही अनामीकरण और प्रसंस्करण कर उससे गैर निजी डाटा का निर्माण होता है और उसके माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों के वित्तीय समेत आर्थिक और सामाजिक व्यवहारों के बारे में जानकारियां एकत्र की जाती हैं।

हमें यह समझने की आवश्यकता है कि विकसित देश अपनी कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मकता को सुविधाजनक बनाने के लिए डेटा के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय कर रहे हैं। डेटा का मुक्त प्रवाह विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच एक असममित संबंध बनाएगा और विकासशील देशों की फर्मों को नुकसानदेह स्थिति में डाल देगा। इसलिए, डेटा का विनियमन बहुत महत्वपूर्ण है।

संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (अंकटाड) की व्यापार और विकास रिपोर्ट 2018 कहती है: "देशों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपने डेटा को नियंत्रित करें और अपने डेटा का उपयोग/साझा करने और इसके प्रवाह को विनियमित करने में सक्षम हों"। रिपोर्ट में आगे कहा गया है "निष्कर्ष यह है कि अगर विकासशील देशों को डिजिटल बुनियादी ढांचे और डिजिटल क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए अपनी आर्थिक और औद्योगिक नीतियों और राष्ट्रीय नियामक ढांचे को डिजाइन करने के लिए लचीलापन और नीतिगत स्थान नहीं दिया जाता है, तो डिजिटल प्रौद्योगिकियों द्वारा प्रदान की गई विकास की क्षमता विलुप्त हो सकती है।"

यदि कानून में यह प्रावधान हो जाए कि देश के लोगों के निजी डाटा को विदेशों में भेजने के बाद भी उस पर संप्रभु अधिकार देश का ही रहे और उसके उपयोग द्वारा एकत्र की गई जानकारियों को भारत में पुनः प्रेषित करने की बाध्यता भी सुनिश्चित की जाए तो डाटा और जानकारियां पर एकाधिकार से बचा सकेगा और साथ ही साथ इन जानकारियों को छोटे ई–कॉमर्स प्लेयर, नए और छोटे स्टार्टअप्स, सरकारी एजेंसियों और आम जनता और शोधकर्ताओं के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध हों, तो हम अपने देश को डिजिटल सुपर पावर बनाने और औद्योगिक क्रांति 4.0 की तरफ द्रुतगति से बढ़ने में अवश्य कामयाब होंगे। ❑❑

सिकुड़ते संसाधनों के बीच आबादी आठ अरब के पार

15 नवंबर 2022 को विश्व की आबादी 8 अरब का आंकड़ा पार कर गई। अब इस जनसंख्या को लेकर संकट बनाम समाधान का एक नया विमर्श दुनिया भर के देशों के बीच शुरू हो गया है। यूं तो माना जाता है कि जनसंख्या एक ऐसा संसाधन है जो अपने आपमें शक्ति होने का द्योतक है लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि यह समस्या का भी सबब बनता रहा है। खासकर उस जनसंख्या के लिए जो औसत रूप से कुशल नहीं है। अशिक्षा, कुपोषण, संक्रामक बीमारियों, प्राकृतिक आपदाओं से घिरे रहने वाले क्षेत्रों के लिए यह बढ़ती हुई आबादी किसी अभिशाप से कम नहीं है, क्योंकि ऐसे ही देशों की आबादी आगे भी रफ्तार के साथ बढ़ने की संभावना है। भारत दुनिया भर में अभी एक युवा देश के रूप में जाना जा रहा है लेकिन आने वाले दिनों में इसके भी बुजुर्ग होने और लगातार बुढ़ाते जाने की समस्या दरपेश होगी।

इन आंकड़ों से इतना तो तय हो गया कि अब दुनिया भर में 8 अरब सपने देखने तथा उन सपनों को पूरा करने के लिए 8 अरब दिमाग मौजूद है। किसी भी काम को अमलीजामा पहनाने के लिए अब हमारे पास 16 अरब हाथ मौजूद हैं ,लेकिन यह तभी संभव है जब हम आर्थिक, सामाजिक, क्षेत्रीय और ऐतिहासिक गैर बराबरी को दूर करने के लिए दुनिया के स्तर पर सामूहिक प्रयास करें। भारत एक ऐसा देश है जहां हर पैदाइश पर सोहर गाया जाता है तो ठीक उसी समय गया, हरिद्वार में जाकर के पितृपक्ष का आयोजन भी बड़े धूमधाम से किया जाता है। हम जन्म और मृत्यु दोनों को समान भव से लेने वाले समाज हैं ।

संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक साल 2030 तक आबादी 830 करोड़, 2050 तक 970 करोड और 2300 तक 10.50 अरब तक पहुंच सकती है। भारत की आबादी तो अगले साल 2023 में ही चीन को पीछे छोड़ देगी। भारत की जनसंख्या अभी 1.04 प्रतिशत की सालाना दर से बढ़ रही है। सवाल अहम है कि जिस रफ्तार से संख्या बढ़ रही है इतनी बड़ी जनसंख्या का आने वाले समय में पेट कैसे भरा जाएगा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन न सिर्फ आजीविका, पानी की आपूर्ति और मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर रहा है, बल्कि खाद्य सुरक्षा के लिए

सवाल अहम है कि जिस रफ्तार से संख्या बढ़ रही है इतनी बड़ी जनसंख्या का आने वाले समय में पेट कैसे भरा जाएगा।

– अनिल तिवारी

भी चुनौती खड़ी कर रहा है। अधिकांश देश जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उनमें खाद्य सुरक्षा की चुनौती सबसे प्रमुख है।

वर्तमान में जिस तेज दर से विश्व की आबादी बढ़ रही है उस हिसाब से इसका दबाव प्राकृतिक संसाधनों पर स्पष्ट रूप से पड़ रहा है। विश्व समुदाय के समक्ष माइग्रेशन भी समस्या के रूप में उभर रहा है क्योंकि बढ़ती आबादी के चलते लोग बुनियादी सुख सुविधा के लिए दूसरे देशों में पनाह लेने को मजबूर हैं। आज पूरी दुनिया के लिए बढ़ती आबादी एवं सिकुड़ते संसाधन अभिशाप हैं, क्योंकि जनसंख्या में अनुपात में संसाधनों की वृद्धि सीमित है। यही वजह है कि 8 अरब की आबादी का बोझ ढोती पृथ्वी जनसंख्या से पैदा हुई अनेक समस्याओं के निदान की बाट जोह रही है। पूरी दुनिया की आबादी में अकेले एशिया की आबादी 61 प्रतिशत है, यही कारण भारत को दुनिया की महाशक्ति बनने में सबसे बड़ी बाधा है। फिलहाल भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की 18 प्रतिशत है। भू भाग के लिहाज से भारत के पास 2.5 प्रतिशत जमीन है, 4 प्रतिशत जल संसाधन है। इतना ही नहीं देश में जमीन के कुल 60 प्रतिशत हिस्से पर खेती होने के बावजूद करीब 20 करोड़ लोग अभी भूखमरी के शिकार हैं। साफ है कि जनसंख्या विस्फोट से संसाधनों की अपर्याप्तता के कारण उत्पन्न समस्याओं का असर अब सब पर पड़ रहा है, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो।

अभी भारत की आबादी 1.39 बिलियन है। बढ़ती जनसंख्या चिंता का विषय तो है। हालांकि यह प्रश्न कोई नया नहीं है, लेकिन इसे नए आयाम से देखे जाने की जरूरत है क्योंकि इसके कारण कृषि योग्य जमीनों पर भी अतिक्रमण हो रहा है। खेती योग्य जमीन

वर्तमान में जिस तेज दर से विश्व की आबादी बढ़ रही है उस हिसाब से इसका दबाव प्राकृतिक संसाधनों पर स्पष्ट रूप से पड़ रहा है।

घट रही है, खाने वाले लोग बढ़ रहे हैं। ऐसे में सभी के लिए कृषि से भोजन उपलब्ध कराना नई चुनौती है। यह त्रासदी है कि आजादी के बाद देश खाद्यान्न के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है।

आज कृषि भूमि के उपयोग में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। किसान कृषि से दूर हो रहे हैं जिससे भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ सकता है। कृषि भूमि का ह्रास भारत के सामाजिक ताने–बाने को भी प्रभावित कर रहा है। हालांकि इस दौरान सरकार द्वारा बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदलने से जुड़ी कुछ सफल कहानियां भी हैं। बावजूद इसके यह भी तथ्य है कि हमारे देश में खेती योग्य भूमि साल दर साल घट रही है, जोत छोटे हो रहे हैं। अब हम आंकड़ों पर गौर करें तो वेस्टलैंड एटलस 2019 के मुताबिक पंजाब जैसे कृषि प्रधान राज्य में 14000 हेक्टेयर और पश्चिम बंगाल में 62000 हेक्टयर खेती योग्य भूमि घट गई है। वहीं सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा सबसे अधिक खतरनाक लग सकता है, जहां हर साल विकास कार्यों पर 48000 हेक्टयर कृषि भूमि घटती जा रही है।

अब गौर करने वाली बात यह है कि 1992 में ग्रामीण परिवारों के पास 117 मिलीयन हेक्टयर भूमि थी जो 2013 तक घटकर केवल 92 मिलियन हेक्टयर रह गई है। जाहिर है कि दो दशक के अंतराल में 22 मिलियन हेक्टयर भूमि ग्रामीण परिवारों के हाथ से निकल गई। यदि यही सिलसिला जारी रहा तो कहा जा रहा है कि अगले साल यानी 2023 तक भारत में खेती का रकबा 80 मिलियन हैक्टयर ही रह जाएगा। ठीक है कि जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर देश में बड़ी–बड़ी योजनाएं बनी, लेकिन सच्चाई है कि कोई सफल नहीं हो सकी। जनसंख्या के लिए राष्ट्रीय नीति होनी बहुत जरूरी है। दो बच्चों की नीति का अनुपालन राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए।

बेतहाशा बढ़ती जनसंख्या देश के विकास को प्रभावित कर रही है। बड़ी जनसंख्या तक योजनाओं के लाभों का समान रूप से वितरण संभव नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हम गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से दशकों बाद भी उबर नहीं सके हैं। हमारे देश में जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी गरीबी की चपेट में है। जाहिर है कि अगर आबादी बढ़ती है तो गरीबों की संख्या में वृद्धि होना स्वभाविक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 16.3 प्रतिशत आबादी कुपोषित है। 5 साल से कम उम्र के 35.5 प्रतिशत बच्चे अशिक्षित हैं। भारत में 3.3 प्रतिशत बच्चों की 5

साल की उम्र से पहले ही मौत हो जाती है। वहीं खाद्य एवं कृषि संगठन की ताजा रिपोर्ट स्टेट आफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड के अनुसार दुनिया भर में 80 करोड़ से ज्यादा लोग भुखमरी से जूझ रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो दुनिया का हर दसवां आदमी भूखा है। रिपोर्ट की मानें तो अभी भी दुनिया में स्वस्थ आहार 310 करोड़ लोगों की पहुंच से बाहर है।

साफ है कि दुनिया भर में तमाम प्रोग्राम और संयुक्त राष्ट्र की कोशिशों के बावजूद खाद्य की कमी और कुपोषण को अभी तक खत्म नहीं किया जा सका है। खाद्य एवं कृषि संगठन के मुताबिक इसका बड़ा कारण देशों के बीच संघर्ष, जलवायु परिवर्तन और आर्थिकी भी है। 2020 में कोरोना महामारी ने इस अंतर को और बढ़ाया है। भारत में 80 करोड़ लोगों को इस दौरान मुफ्त में अनाज देना पड़ा था। बहरहाल बढ़ती आबादी के कारण ही दुनियाभर में तेल, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ गया है, जो भविष्य के लिए खतरे का संकेत है। भले ही दुनिया भर में हम विकास का दम भरते रहे, पर सच यह है कि दुनिया में भुखमरी का गंभीर संकट मंडरा रहा है।

नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने भी कहा है कि अकाल और खाद्य समस्या का मुख्य कारण सिर्फ खाद्य पदार्थों का अभाव नहीं, बल्कि लोगों की क्रय शक्ति में कमी ही इसके पीछे मूल कारण है। वहीं दूसरी तरफ एक आकलन के अनुसार पूरी दुनिया में 30 प्रतिशत अनाज बर्बाद हो जाता है। किसान वर्ग भी वर्तमान समय में आबादी के अनुपात में अनाज उत्पादन नहीं कर पा रहा है।

समय बदल रहा है और स्थिति भी बदल रही है। ऐसे में दुनिया की बड़ी आबादी को भुखमरी से बाहर निकालने के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत है ताकि सामाजिक सुरक्षा उपायों को अपनाकर गरीबी और भूखमरी का उन्मूलन किया जा सके। जनसंख्या नियंत्रण एवं खाद्य उत्पादन में वृद्धि की आवश्यकता दोनों बातें केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे संपूर्ण विश्व के लिए सोचनीय विषय है। इन दोनों समस्याओं को हल के लिए विश्व स्तर पर अभिनव प्रयास जारी है।

समय बदल रहा है और स्थिति भी बदल रही है। ऐसे में दुनिया की बड़ी आबादी को भुखमरी से बाहर निकालने के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत है ताकि सामाजिक सुरक्षा उपायों को अपनाकर गरीबी और भूखमरी का उन्मूलन किया जा सके। जनसंख्या नियंत्रण एवं खाद्य उत्पादन में वृद्धि की आवश्यकता दोनों बातें केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे संपूर्ण विश्व के लिए सोचनीय विषय है।

भारत विश्व के उन देशों में है जहां खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति बेहद कमी है। अमीर वर्ग, मध्यवर्ती किसान और व्यापारी ही पर्याप्त और उपयुक्त भोजन प्राप्त कर पाते हैं, शेष ग्रामीण, मजदूर, लघु कृषक, आदिवासियों, निम्न मध्यवर्गीय लोगों के समक्ष उनकी समस्या सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी है। निदान के लिए प्रत्येक घर में चाहे छोटी सी ही जमीन क्यों न हो अपने गुजारे के लिए कुछ ना कुछ खाद्य पदार्थ उगाना ही होगा। जमीन की उर्वरता बढ़ाने के लिए पशुपालन और उनके स्थान पर साग सब्जी का उत्पादन तथा सेवन ऐसे उपाय हैं जिनके सहारे समाधान बहुत हद तक किया जा सकता है।

सरकार द्वारा परिवार नियोजन के क्षेत्र में वृहद कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसी तरह का क्रियान्वयन खाद्यान्न उत्पादन के लिए भी सुनिश्चित हो। आर्थिक प्रणालियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए जनसंख्या के आंकड़ों को बदलने के प्रयासों की बजाय जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने वाली आर्थिक व्यवस्था बननी चाहिए। 8 अरब लोगों की शक्ति का दोहन करने के लिए आवश्यक होगा कि इन्हें एकजुटता से सशक्त बनाए। ठीक उसी प्रकार जैसे हम सभी देश महामारी में एक दूसरे की मदद के लिए आगे आए थे। आर्थिक समृद्धि के साथ सामाजिक संतुलन की भी जरूरत होगी। भारत के कृषक समाज में धन और जन दोनों के बीच संतुलन की चाह और 10 की लाठी एक का बोझ जैसा मुहावरा पहले से प्रचलित है। स्वास्थ सुविधाओं की बेहतरी से दुनियां में औसत आय बढ़ी है और इसका संबंध भी जनसंख्या की वृद्धि से है। लेकिन बुजुर्गों की देखभाल आने वाले दशकों में बड़ी चुनौती बनने जा रही है।

लिसेंट में छपे वाशिंगटन विश्वविद्यालय के एक शोध पत्र के अनुसार इस सदी के अंत तक दुनिया में 2.4 बिलियन लोग 65 साल से अधिक के होंगे, जबकि 20 साल से कम उम्र के लोगों की संख्या 1.7 बिलियन ही रह जाएगी। महिलाओं की शिक्षा और उनके रोजगार में भागीदारी जनसंख्या नियंत्रण के प्रभावी तरीके हैं। एशिया के देशों जहां बाल विवाह की प्रथा है और महिला शिक्षा की स्थिति सामान्य नहीं है, इस पर विशेष ध्यान देना होगा। आने वाले वर्षों में उत्पादक आयु के युवाओं से अधिक संख्या उन पर निर्भर बुजुर्गों की होगी। ऐसी स्थिति में हमें अपने देश में एक ही कैंपस में स्कूल और वृद्धाश्रम एक साथ खोले जाने की योजना बनानी पड़ेगी। ❑❑

फिर से पीली क्रांति की दरकार

आनुवंशिक रूप से परिष्कृत (जीएम) सरसों की किस्म को पर्यावरणीय मंजूरी मिलना वैज्ञानिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए जश्न का अवसर हो सकता है। आखिर यह पहला जीएम खाद्य है, जिसे पर्यावरण परीक्षण की मंजूरी मिली है। कहा गया है कि इससे खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। भले ही ये दावे सच न हों, लेकिन कृषि वैज्ञानिकों का एक प्रमुख वर्ग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग निश्चित रूप से जानता है कि यह कम से कम देश में अन्य जीएम खाद्य पदार्थों के लिए दरवाजा खोल देगा।

तथ्य यह है कि भारत 1.15 लाख करोड़ रुपये की लागत से खाद्य तेल की अपनी मांग का 55 से 60 प्रतिशत आयात करता है, जो निश्चित रूप से चिंताजनक है। तत्काल आवश्यकता आयात को कम करने की है और यह तभी हो सकता है जब घरेलू उत्पादन बढ़े। यह देखते हुए, कि देश में नौ खाद्य तेल फसलें उगाई जाती हैं, इस भारी कमी को पूरा करने के लिए हमें इन सभी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन यह समझ में नहीं आता है कि कम उपज वाली जीएम सरसों की किस्म सरसों का उत्पादन कैसे बढ़ा सकती है? जीएम फसलों से जुड़े सभी मानव स्वास्थ्य और पर्यावरणीय जोखिमों को देखते हुए और यह जानते हुए कि जीएम सरसों किस्म की उत्पादकता कम है, इसे वैज्ञानिक कूड़ेदान तक ही सीमित रखा जाना चाहिए था।

वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय चाहे कितना भी जोर दें, ये दावे वास्तव में निराधार और वैज्ञानिक रूप से अमान्य हैं। यह सच है कि देश में सरसों की औसत उत्पादकता 2,000 किलोग्राम/हेक्टेयर के वैश्विक औसत के मुकाबले 1,260 किलोग्राम/हेक्टेयर है, और निश्चित रूप से घरेलू उत्पादकता के साथ–साथ उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है। पर शायद जीएम सरसों को पर्यावरणीय मंजूरी देने वाला मंत्रालय यह भूल गया है कि प्रो. एमएस स्वामीनाथन ने क्या कहा था। जीएम का विकल्प सबसे अंत में आजमाना चाहिए, जब अन्य सभी उपलब्ध विकल्प खत्म हो जाएं। जीएम सरसों की किस्म–डीएमएच 11 से खाद्य तेल उत्पादन बढ़ाना, जिसकी उत्पादकता सरसों की कम–से–कम पांच उपलब्ध किस्मों की तुलना में कम है, एक वैज्ञानिक चमत्कार ही होगा।

जीएम सरसों को पर्यावरणीय मंजूरी देते हुए दावा किया गया है कि इससे खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। जबकि हमारे पास पहले से ही उच्च उपज वाली कम–से–कम पांच गैर–जीएम किस्में मौजूद हैं। खाद्य तेलों के आयात पर निर्भरता बढ़ाने के लिए शून्य आयात शुल्क भी जिम्मेदार है।

– देविन्दर शर्मा

भारत में सरसों की खेती 80 से 90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में होती है। हैरानी की बात यह है कि बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों में पैदावार पहले से ही अधिक है, जहां सरसों की गहन खेती प्रणाली का पालन किया गया। बिहार में सरसों की औसत उपज 3,458 किलोग्राम/हेक्टेयर है और राजस्थान में उससे थोड़ा ज्यादा 3,560 किलोग्राम/हेक्टेयर है, जो स्वीकृत जीएम सरसों की किस्म से काफी अधिक है।

जीएम सरसों की उत्पादकता की तुलना अपेक्षाकृत खराब उपज देने वाली वरुणा किस्म से करके यह दावा करना कि यह 28 फीसदी अधिक उपज है, वास्तव में जीएम किस्म की कम उपज को छिपाने का चतुर तरीका है। किसानों के पास पहले से उपलब्ध पांच उच्च उपज देने वाली किस्मों में से (जो सभी गैर–जीएम किस्में हैं) तीन उसी डीएमएच श्रृंखला से हैं। आनुवंशिक रूप से परिष्कृत डीएमएच–11 किस्म की 2,626 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की उपज क्षमता के मुकाबले, पहले से उपलब्ध डीएमएच–4 किस्म की उपज क्षमता 3,012 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जिसका अर्थ है कि यह जीएम सरसों किस्म की तुलना में 14.7 प्रतिशत अधिक उपज देती है। जीएम सरसों किस्म की उत्पादकता का मूल्यांकन करने के लिए सरसों की इस किस्म का उपयोग क्यों नहीं किया गया, यह स्पष्ट है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जीएम सरसों कम से कम वैज्ञानिकों को और अधिक संकर किस्म पैदा करने के लिए एक उपकरण उपलब्ध कराएगी। हालांकि तथ्य यह है कि डीएमएच श्रृंखला का अर्थ है–धारा सरसों का संकर किस्म, और हमारे पास पहले से ही गैर–जीएम प्रौद्योगिकी के साथ उच्च उपज वाले संकर किस्म हैं। हमें यह आभास देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि पारंपरिक किस्मों के साथ सरसों के संकर किस्म का उत्पादन नहीं किया गया है।

भारत में सरसों की खेती 80 से 90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में होती है। हैरानी की बात यह है कि बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों में पैदावार पहले से ही अधिक है, जहां सरसों की गहन खेती प्रणाली का पालन किया गया। बिहार में सरसों की औसत उपज 3,458 किलोग्राम/हेक्टेयर है और राजस्थान में उससे थोड़ा ज्यादा 3,560 किलोग्राम/हेक्टेयर है, जो स्वीकृत जीएम सरसों की किस्म से काफी अधिक है। मध्य प्रदेश में, कृषि विभाग द्वारा एसएमआई उत्पादन प्रणाली लागू करने के बाद प्राप्त औसत पैदावार 4,693 किलोग्राम/हेक्टेयर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई है। आश्चर्य है कि कृषि वैज्ञानिक एसएमआई खेती के तहत सरसों की खेती को बढ़ावा और विस्तार देने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं, खासकर यह देखते हुए कि मध्य प्रदेश में उपज जीएम किस्म की तुलना में लगभग दोगुनी है। एक ऐसे देश में, जहां सरसों के लिए एक विशाल आनुवंशिक विविधता मौजूद है, भारत को इसके बजाय भूली हुई पीली क्रांति से ऊपर उठने की जरूरत है।

वर्ष 1985–86 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने आयात पर निर्भरता घटाने के उद्देश्य से खाद्य तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की शुरूआत की थी। यह देखते हुए कि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नियमों के तहत भारत के पास आयात शुल्क को अधिकतम 300 प्रतिशत रखने का विकल्प था, भारत ने किसानों को प्रौद्योगिकी, आकर्षक मूल्य प्रदान करके एक सक्षम वातावरण बनाया और प्रसंस्करण उद्योग के विकास को भी प्रोत्साहित किया।

वर्ष 1993–95 से तिलहन का उत्पादन दोगुना हो गया और भारत इस मामले में लगभग आत्मनिर्भर बन गया। यह अपनी जरूरत का 97 फीसदी उत्पादन करते लगा और मात्र 3 फीसदी आयात करता था। फिर धीरे–धीरे आयात शुल्क घटने के साथ खाद्य तेल पर आयात शुल्क शून्य पर पहुंच गया (अब भी शून्य ही है), जिससे खाद्य तेल आयात की बाढ़ आ गई। जितना अधिक आयात बढ़ा, उतना ही किसानों ने तिलहन की खेती छोड़ दी। और इस तरह पीली क्रांति के लाभ ध्वस्त हो गये। खाद्य तेलों के मामले में लगभग आत्मनिर्भरता के लिए केवल उच्च उत्पादन ही एकमात्र कारण नहीं था। कई वजहों से यह उपलब्धि हासिल हुई थी, जिसमें आयात शुल्क बढ़ाना, किसानों को उच्च मूल्य प्रदान करना, सिंचित क्षेत्र का विस्तार करना और इनपुट की उपलब्धता को आसान बनाना शामिल है। एक बार फिर से तिलहन क्रांति के लिए प्रयास किया जा सकता है और इस बार वैज्ञानिकों को सही तरीके से नीतिगत प्रोत्साहन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इसकी शुरूआत आयात शुल्क को कम से कम 50 प्रतिशत तक बढ़ाने के साथ करनी होगी और उत्पादन रणनीति के रूप में सरसों की गहन प्रणाली (एसएसआई) का उपयोग करते हुए एक राष्ट्रव्यापी अभियान छेड़ना होगा। ❑❑

https://jantaserishta.com/editorial/need-for-yellow-revolution-again-need-to-carry-forward-rajiv-gandhis-initiative-and-productive-debate-on-gm-crops-1740245

आनुवांशिक संशोधन का वैज्ञानिक पक्ष

अभी हाल में ही जीएम सरसों के कृषि उत्पादन पर विवाद खड़ा हो गया। देश में सरसों के विशाल स्तर पर उत्पादन से खाद्य तेलों के आयात को कम करने के उद्देश्य से संदर्श प्रारम्भ किया गया। पर किसानों, सामाजिक संस्थाओं और स्वदेशी जागरण मंच द्वारा इसके उत्पादन का विरोध किया गया जो मुख्यतया जीएम फसलों के उत्पादन के कारण स्वास्थ्य पर कुप्रभाव, कृषि भूमि के ऊसर होने और जीएम फसलों के बीजों पर अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के एकाधिकार के चलते आसमान छूती कीमतों के कारण किसानों की बरबादी की आशंकाओं के कारण है। मोनसेंटो, सिनजेन्टा और बायर सहित प्रमुख जैव प्रौद्योगिकी फर्म स्वास्थ्य और सुरक्षा अनुसंधान के लिए अपने स्वार्थ के लिए काफी फंड देती हैं। जीएम फसलों के विरोध को आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। इसलिए फसलों के आनुवांशिक संशोधन के विज्ञान को भी सरलता से समझने की आवश्यकता है जिससे कि जनता स्वयं जीएम उत्पादों का बहिष्कार करे और देश में ही उन फसलों की पैदावार बढ़े जिनके आयात की विवशता है। एक पक्ष और भी है कि हम जाने अंजाने विदेशी खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हैं जो आनुवांशिक संशोधित होती हैं क्योंकि न तो हम यह जानने की आवश्यकता समझते हैं और न उनके उत्पाद पर ऐसी सूचना देने की बाध्यता है। हमें यह भी समझ नहीं आता कि बाज़ारों में बिक रहा आकर्षक विज्ञापनों वाला डिब्बा बंद तेल, घी आदि भी क्या विदेशों से आयातित आनुवांशिक संशोधित तेल से मिश्रित है? ऐसा बहुत समय से हो रहा है। इसलिए यह भी आवश्यक है कि हम स्वदेशी खाद्य पदार्थों को ही उपभोग करें, क्योंकि वह सुरक्षित हैं।

आनुवांशिक संशोधन का एक मात्र उद्देश्य केवल आर्थिक पक्ष है जिससे अधिक उत्पादन हो और कीटनशाकों के प्रति सुरक्षा हो परंतु यह एक मरीचिका है जिसके भ्रम में किसान एकाधिकार वाली कंपनियों से महंगे बीज खरीदने को विवश होते हैं और जिसकी परिणति किसानों की बरबादी और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर विषम प्रभावों के रूप में होती है।

– विनोद जौहरी

आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव (जीएमओ) पौधे, जानवर या सूक्ष्मजीव वह हैं जिनकी आनुवंशिक संरचना कृत्रिम रूप से संशोधित या परिवर्तित होती है। अलग–अलग जीनों को एक जीव से दूसरे जीव में प्रजातियों में प्रवेश कराया जा सकता है। जीएम के कई उद्देश्य हैं जिनमें कुछ पर्यावरणीय परिस्थितियों, कीटों और बीमारियों के प्रतिरोध या जड़ी–बूटियों जैसे रसायनों के प्रतिरोध सम्मिलित हैं। कुछ फसलों को उनके मूल्य को बढ़ाने के लिए

आनुवंशिक रूप से संशोधित किया जाता है। बायोटेक उद्योग के आश्वासन के बावजूद, कोई साक्ष्य या प्रमाण नहीं मिलता है कि वर्तमान में बाजार में कोई जीएम बढ़ी हुई उपज, बढ़ा हुआ पोषण, सूखा सहनशीलता, या कोई अन्य उपभोक्ता लाभ दिखा रहा है। जीएम की सुरक्षा अज्ञात है। इसके विश्वसनीय स्वतंत्र दीर्घकालिक अध्ययन का अभाव है। विश्व भर में बढ़ती संख्या में लोग जैविक और गैर–जीएम उत्पादों को खाना पसंद कर रहे हैं।

सभी जीवों की विशेषताएं उनके आनुवंशिक बनावट और पर्यावरण के साथ उनकी अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होती हैं। किसी जीव का जेनेटिक मेकअप उसका जीनोम होता है, जो सभी पौधों और जानवरों में डीएनए से बना होता है। जीनोम में जीन, डीएनए के क्षेत्र होते हैं जो आमतौर पर प्रोटीन बनाने के निर्देश देते हैं। यह ये प्रोटीन हैं जो पौधे को इसकी विशेषताएं देते हैं। उदाहरण के लिए, फूलों का रंग उन जीनों द्वारा निर्धारित किया जाता है जो पंखुड़ियों को रंगने वाले पिगमेंट के उत्पादन में शामिल प्रोटीन बनाने के निर्देश देते हैं।

जीएम एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी जीव के जीनोम में डीएनए डाला जाता है। जीएम उत्पाद के उत्पादन करने के लिए नए डीएनए को पौधों की कोशिकाओं में स्थानांतरित किया जाता है। आमतौर पर, तब कोशिकाओं को टिशू कल्चर में उगाया जाता है जहां वे पौधों में विकसित होती हैं। पौधों के आनुवंशिक संशोधन में पौधे के जीनोम में डीएनए के एक विशिष्ट खंड को शामिल करना शामिल है, जिससे इसे नई या अलग विशेषताएं मिलती हैं। इसमें पौधे के बढ़ने के तरीके को बदलना, या इसे किसी विशेष रोग के लिए प्रतिरोधी बनाना शामिल हो सकता है। नया डीएनए जीएम पौधे के जीनोम का हिस्सा बन जाता है जिसमें इन पौधों द्वारा उत्पादित बीज शामिल होंगे। इन पौधों द्वारा उत्पादित बीजों को नया डीएनए विरासत में मिलता है। आनुवंशिक संशोधनों के तीन मुख्य प्रकार हैं–

- ट्रांसजेनिक– पौधों में ऐसे जीन डाले जाते हैं जो अन्य प्रजातियों से प्राप्त होते हैं।
- सिजेनिक– पौधों को एक ही प्रजाति या निकट संबंधी जीनों का उपयोग करके बनाया जाता है।
- सबजेनरिक– अन्य पौधों से जीनों को शामिल किए बिना एक पौधे के अनुवांशिक मेकअप को बदलें।

जीएम पौधा बनाने के पहले चरण में डीएनए को प्लांट सेल में स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। डीएनए को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों में से एक है, छोटे धातु के कणों की सतह को संबंधित डीएनए अंश के साथ कोट करना और कणों को पौधों की कोशिकाओं में प्रवेश करना। एक अन्य विधि एक जीवाणु या वायरस का उपयोग करना है। ऐसे कई वायरस और बैक्टीरिया हैं जो अपने डीएनए को अपने जीवन चक्र के सामान्य भाग के रूप में एक पोषित कोशिका में स्थानांतरित करते हैं। जीएम पौधों के लिए, अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले जीवाणु को एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन्स कहा जाता है। लक्षित जीन को जीवाणु में स्थानांतरित किया जाता है और जीवाणु कोशिकाएं तब नए डीएनए को पादप कोशिकाओं के जीनोम में स्थानांतरित करती हैं। जिन पादप कोशिकाओं ने डीएनए को सफलतापूर्वक ग्रहण कर लिया है, उन्हें फिर एक नया पौधा बनाने के लिए उगाया जाता है। यह संभव है क्योंकि व्यक्तिगत पादप कोशिकाओं में संपूर्ण पादप उत्पन्न करने की प्रभावशाली क्षमता होती है। दुर्लभता से डीएनए हस्तांतरण की प्रक्रिया मानवीय हस्तक्षेप के बिना भी हो सकती है। उदाहरण के लिए शकरकंदी में डीएनए अनुक्रम होते हैं जो हजारों साल पहले एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया से शकरकंदी के जीनोम में स्थानांतरित हो गए थे।

एक पौधे से एक डीएनए जिसमें कीटों के लिए उच्च प्रतिरोध होता है, दूसरे में प्रवेश किया जा सकता है ताकि दूसरे पौधे की किस्म में कीट–प्रतिरोधी विशेषता हो। एक नीला केला प्राप्त करने के लिए एक केले में ब्लूबेरी का एक डीएनए डाला जा सकता है। विनिमय दो या दो से अधिक जीवों के बीच प्रभावित हो सकता है। यहां तक कि एक मछली के जीन को एक पौधे में भी पेश किया जा सकता है। एक आर्कटिक मछली के जीन को टमाटर में डाला गया ताकि इसे ठंढ के प्रति सहिष्णु बनाया जा सके। इस टमाटर ने मोनिकर 'फिश टोमैटो' प्राप्त किया। लेकिन इसका व्यवायिक उत्पादन कभी नहीं किया गया।

यदि वैज्ञानिक उच्च प्रोटीन सामग्री के साथ गेहूं का उत्पादन को संभव बनाने के लिए प्रोटीन बनाने वाले गुण वाले डीएनए के एक विशिष्ट अनुक्रम को बीन (जिसे दाता जीव कहा जाता है) से अलग किया जाता है और प्रयोगशाला प्रक्रिया में गेहूं की जीन संरचना में डाला जाता है। इस प्रकार उत्पादित नए जीन या ट्रांसजीन को प्राप्तकर्ता कोशिकाओं (गेहूं कोशिकाओं) में स्थानांतरित किया जाता है। कोशिकाओं को तब टिशू कल्चर में उगाया जाता है जहां वे पौधों में विकसित होती हैं। इन पौधों द्वारा उत्पादित बीजों को नई डीएनए संरचना विरासत में मिलेगी।

यूरोपीय संघ में अनेक देशों ने आनुवांशिक संशोधित जीवाश्म पर प्रतिबंध लगा दिया है – फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ग्रीस, हंगरी, नीदरलैंड, लातविया, लिथुआनिया, लक्ज़मबर्ग, बुल्गारिया, पोलैंड, डेनमार्क, माल्टा, स्लोवेनिया, इटली और क्रोएशिया। अफ्रीका में

अल्जीरिया और मेडागास्कर ने जीएमओ पर प्रतिबंध लगा दिया है और एशिया में तुर्की, किर्गिस्तान, भूटान, और सऊदी अरब ने जीएमओ पर प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका में बेलीज, इक्वाडोर, पेरू और वेनेजुएला ने जीएमओ पर प्रतिबंध लगा दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जीएमओ पर प्रतिबंध लगाने वाला कोई आधिकारिक कानून नहीं है।

जीएम कृषि उत्पादों के कुप्रभाव संक्षेप में निम्न प्रकार हैं –

- आनुवंशिक रूप से तैयार किए गए खाद्य पदार्थ अनपेक्षित दुष्प्रभाव डालते हैं।
- कुछ फ़सलों को कीटों के विरुद्ध अपने स्वयं के विषाक्त पदार्थों का निर्माण करने के लिए तैयार किया गया है। यह उन्हें निगलने वाले खेत जानवर को हानि पहुंचा सकते हैं। विषाक्त पदार्थ भी एलर्जी पैदा कर सकते हैं और मनुष्यों में पाचन को प्रभावित कर सकते हैं। अन्य जीवों के लिए कीटनाशक, शाकनाशी या एंटीबायोटिक प्रतिरोध का क्षैतिज जीन स्थानांतरण न केवल मनुष्यों को खतरे में डालेगा, बल्कि इससे पारिस्थितिक असंतुलन भी पैदा होगा, जिससे पहले हानिकर पौधे अनियंत्रित रूप से विकसित हो सकेंगे, इस प्रकार पौधों और जानवरों दोनों के बीच रोग के प्रसार को बढ़ावा मिलेगा।
- इसके अलावा, कीटाणुओं और कीटों को मारने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं को शामिल करने के लिए जीएम फसलों को संशोधित किया गया है। और जब हम उन्हें खाते हैं, तो ये एंटीबायोटिक मार्कर हमारे शरीर में बने रहेंगे और समय के साथ वास्तविक एंटीबायोटिक दवाओं को कम प्रभावी बना देंगे, जिससे सुपरबग का खतरा बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि बीमारियों का इलाज करना और मुश्किल हो जाएगा।
- जीएम भोजन की खपत के साथ–साथ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट विकारों और एलर्जी के मामलों में वृद्धि हुई है।
- आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों की खेती उन बीजों से की जाती है जो पैदावार बढ़ाने या कीटों के प्रति सहनशीलता बढ़ाने के लिए आनुवंशिक रूप से तैयार किए जाते हैं।
- यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। अवांछित अवशिष्ट प्रभाव पैदा करते हैं। अधिक खरपतवार पैदा कर सकते हैं।

सरकार ने तिलहन किसानों की मदद करने, फसल क्षेत्र बढ़ाने और तिलहनों की नई उच्च उपज किस्मों को विकसित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 11,040 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय किया गया है। वर्ष 2025–26 तक ताड़ के तेल के लिए 6.5 लाख हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र को कवर करने का प्रस्ताव है और इस तरह अंततः 10 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। क्रूड पाम ऑयल (सीपीओ) का उत्पादन 2025–26 तक 11.20 लाख टन और 2029–30 तक 28 लाख टन तक जाने की उम्मीद है।

आनुवांशिक संशोधन का एक मात्र उद्देश्य केवल आर्थिक पक्ष है जिससे अधिक उत्पादन हो और कीटनशाकों के प्रति सुरक्षा हो परंतु यह एक मरीचिका है जिसके भ्रम में किसान एकाधिकार वाली कंपनियों से महंगे बीज खरीदने को विवश होते हैं और जिसकी परिणति किसानों की बरबादी और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर विषम प्रभावों के रूप में होती है। इस से बेहतर है कि सरसों और अन्य तिलहनों का कृषि क्षेत्र बढ़ाया जाये, सरकारी खरीद मूल्य के माध्यम से तिहन किसानों के हित सुरक्षित जाएँ और खाद्य तेल उत्पादन उद्यमों को प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इन्सेंटिव के माध्यम से अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन दिया जाये जिस से खाद्य तेलों के आयात पर निर्भरता समाप्त हो जाए।❑❑

विनोद जौहरीः पूर्व अपर आयकर आयुक्त

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका आर्थिक सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

क्या कबाड़ बन जाएगा सरसों का साग?

सर्दियां आते ही हवा में सरसों के साग का एक अलग स्वाद होता है। नाम सुनकर ही मुंह में पानी ला देने वाला यह व्यंजन जो युगों से हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है, लेकिन इस बात का डर है कि सदियों पुराना यह स्वादिष्ट व्यंजन अब केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के एक निर्णय से दुर्लभ हो सकता है। जीएम खाद्य पदार्थों के साथ होने वाले स्वास्थ्य खतरों को भली प्रकार से जानते हुए भी मंत्रालय अनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम सरसों को व्यवसायिक स्वीकृति देने पर विचार कर रहे है। अगर यह होता है तो निश्चित रूप से लोग मक्के की रोटी व सरसों का साग से अब दूर रहना ही पसंद करेंगे।

तार्किक तौर पर भी पारंपरिक रूप से दैनिक व्यंजनों का एक हिस्सा रहे खाद्य फसलों को अनुवांशिक रूप से संशोधित करने का कोई बेताब कारण नहीं है। इसके अलावा जीएम सरसो को सामान्य सरसो से अलग करने का कोई तरीका नहीं है जिससे कि आम आदमी निश्चिंत हो सके। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की नोडल एजेंसी जीएसी ने 2010 में बीटी बैगन की मंजूरी को लेकर आगे बढ़ी थी लेकिन उसने अपने पैर वापस खींच लिए। अगर वह मंजूरी मिल गई होती तो बीटी बैगन भारत में अनुवांशिक रूप से संशोधित होने वाली पहली खाद्य फसल होती। अब वही समिति दिल्ली विश्वविद्यालय की जीएम सरसों की किस्म डीएमएच–11 को हरी झंडी दी है। विकासकर्ताओं का दावा है कि यह जीएम सरसों 20 से 25 फ़ीसदी अधिक उपज देती है और सरसों के तेल की गुणवत्ता में भी सुधार करती है। अब इन दावों की सत्यता की जांच करने का समय आ गया है।

दावों के बावजूद यह भी समझने का समय है कि फसल उत्पादकता बढ़ाने के नाम पर कितनी आसानी से हमारे भोजन के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। सच तो यह है कि दुनिया भर में अब तक कोई ऐसी जीएम फसल नहीं है जिससे उत्पादकता बड़ी हो यहां तक कि जीएम सरसों से भी उपज में वृद्धि का दावा केवल हाइब्रिड किस्म के कारण किया जा रहा है जिसमें तीन एलियन जिंस डाले गए हैं जिसका अर्थ है कि यदि आप बाजार में उपलब्ध लोकप्रिय सरसों में से किसी एक को उगाते हैं तो आपको शायद ही कोई उपज लाभ होगा। यह बार–बार कहा जा रहा है कि भारत हर साल 60000 करोड रुपए के खाद्य

भली–भांति यह जानते हुए कि जीएम सरसों से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरे देश के लिए बहुत गंभीर होंगे, इसका समर्थन करने वाली लाबी द्वारा लगातार झूठा दावा किया जा रहा है।
– स्वदेशी संवाद

तेलों का आयात करता है और इसलिए जीएम सरसों की उत्पादकता बढ़ने से आयात का बिल कम हो जाएगा। जो लोग वास्तविक स्थिति को नहीं जानते हैं उनके लिए यह एक सार्थक प्रस्ताव प्रतीत हो सकता है, लेकिन जो ज्ञात नहीं है वह यह है कि देश में तेल का भारी आयात, प्रौद्योगिकी की कमी के कारण नहीं है या हमारे किसान उत्पादन करने में असमर्थ हैं। यह आयात इसलिए है क्योंकि क्रमिक सरकारों ने आयात शुल्क को 300 प्रतिशत की लागू दर से घटाकर अब शून्य प्रतिशत करने के लिए भारी कटौती की अनुमति दी है। नतीजतन भारत सस्ते आयात से भर गया है, नहीं तो तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन ने भारत को एक प्रमुख आयातक से खाद्य तेल उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर बना दिया था।

डाउनस्लाइड

भारत अपनी पीली क्रांति को खत्म करने के लिए विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के दबाव के आगे खुशी से झुक गया और फिर गिरावट शुरू हो गई। वास्तव में पीली क्रांति का अंत इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे एक होनहार घरेलू खाद्य तेल क्षेत्र को आर्थिक उदारीकरण की वेदी पर बलिदान कर दिया गया। आयात शुल्क में भारी कटौती से सस्ते आयात की बाढ़ आ गई जिससे किसान खेती से बाहर हो गए। चरणबद्ध तरीके से आयात शुल्क 300 प्रतिशत के निर्धारित स्तर से घटाकर आज लगभग शून्य प्रतिशत कर दिया गया है। नतीजतन किसानों ने तिलहनी फसलों की खेती छोड़ दी और प्रसंस्करण उद्योग भी बंद हो गए। भारत आज अपनी जरूरत का 67 फ़ीसदी से ज्यादा खाद्य तेल आयात करता है जिसकी कीमत 66000 करोड़ रू. है।

भारत ने 2015 में तिलहन उत्पादन में किसी कमी के कारण 66000 करोड़ों रुपए के खाद्य तेलों का आयात नहीं किया था। दरअसल हम आयात को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों पर चल रहे थे, जिसके कारण देश एक बड़े आयात बिल के बोझ से दब गया है।

कृषि मंत्री ने भी बार–बार खाद्य तेल के आयात पर निर्भरता कम करने की जरूरत पर जोर दिया है। किसी भी शिक्षित और चिंतित नागरिक से पूछे तो वह आयात में कटौती करने और घरेलू किसानों की मदद करने का आह्वान करेगा। लेकिन मैंने सोचा था कि मंत्रियों को कम से कम पता होगा कि भारत वास्तव में खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर था और यह हमारी दोषपूर्ण व्यापार नीतियों के कारण ही खाद्य तेलों की दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश बन गया है। जब मैंने भारतीय खाद्य निगम के बंटवारे पर उच्चस्तरीय शांताकुमार समिति के सामने एक प्रस्तुति दी कि कैसे व्यापार उदारीकरण ने तिलहन क्रांति को नष्ट कर दिया है तो उन्होंने उसे बखूबी समझा। वह इस मामले में समझदार थे। उनकी सिफारिशों में व्यापार नीतियों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता शामिल है ताकि घरेलू उत्पादन को सस्ते आयात से बचाया जा सके।

ज्ञातव्य हो कि भारत ने 2015 में तिलहन उत्पादन में किसी कमी के कारण 66000 करोड़ों रुपए के खाद्य तेलों का आयात नहीं किया था। दरअसल हम आयात को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों पर चल रहे थे, जिसके कारण देश एक बड़े आयात बिल के बोझ से दब गया है। हालांकि जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति की उप समिति नोडल अंतर मंत्रालय एजेंसी, जिसकी स्वीकृति आवश्यक है, ने जीएम सरसों की जिन किस्मों को सुरक्षित होने के रूप में मंजूरी दे दी है। तथ्य है कि सुरक्षा डाटा को छिपा कर रखा जा रहा है। केंद्रीय सूचना आयोग ने जनता के साथ सुरक्षा डाटा साझा करने का निर्देश दिया है। यह सुखद है कि मंत्रालय ने डाटा को जीईएसी के वेबसाइट पर डालने और सार्वजनिक टिप्पणियों को आमंत्रित करने का वादा किया। लेकिन मुझे यह जानकर झटका लगा कि जीईएसी के सदस्य इस बात से बिल्कुल भी परेशान नहीं है कि जीएम सरसों रासायनिक शाकनाश्कों के उपयोग को बढ़ाएगी। वास्तव में जीएम सरसों में शाकनाशी सहिष्णु जीनों का चतुर ढेर एक बहुराष्ट्रीय कंपनी बॉयर द्वारा बेचे जा रहे शाकनाशी के पक्ष में है।

असफल प्रयोग

बीटी कॉटन ने भी रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग में वृद्धि की थी। उद्योग चाहे जो भी दावा करें तथ्य है कि भारत में कीटनाशकों का उपयोग बढ़ गया है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ कॉटन रिसर्च के अनुसार 2005 में भारत में कपास पर 649 करोड़ों रुपए के रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल किया गया था। 2010 में जब कपास के तहत लगभग 92 प्रतिशत क्षेत्र बीटी कपास किस्मों में स्थानांतरित हो गया, तब मूल्य के संदर्भ में उपयोग बढ़कर 880.4 करोड़ हो गया। चीन में जहां बीटी कपास को सिल्वर बुलेट केस के रूप में प्रचारित किया गया था। वहां के किसान कपास के कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए 20 गुना अधिक रसायनों का प्रयोग करते हैं। ब्राज़ील और अर्जेंटीना जैसे देश में भी जीएम फसलों के कारण कीटनाशकों के उपयोग में 200 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। ऐसे समय में जब भारत में कपास के किसान 2015 में हुए सफेद मक्खी के हमले के बाद अनुवांशिक रूप से संशोधित बीटी कपास से दूर चले गए हैं और फसल वॉलबर्म के लिए अति संवेदनशील हो गई है। मैंने सोचा था कि पर्यावरण मंत्रालय ने इससे सबक सीखा होगा। सफेद मक्खियों के हमले से हुए कपास के नुकसान के कारण पंजाब में 300 से अधिक कपास किसानों ने आत्महत्या कर ली है। आखिर इसके लिए जीएम बीज कंपनियों को इसका दोषी क्यों नहीं ठहराया जा रहा? क्या भारत में मानव जीवन इतना सस्ता हो गया है कि कपास पट्टी में होने वाली हत्याओं पर भी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय मौन रहता है? जीएम मुक्त भारत के लिए गठबंधन के बैनर तले नागरिक समाज समूह ने पहले ही जीएम सरसों के लिए दावा किए जा रहे 26 प्रतिशत अधिक उपज के उत्पादकता वाले दावों को खारिज कर दिया है। यही नहीं किसानों ने डेवलपर्स पर डाटा को गलत साबित करने और कुछ बेकार किस्मों के साथ जीएम सरसों के उपज प्रदर्शन की तुलना करने का भी आरोप लगाया है।

कुल खपत वाले खाद्य तेल में सरसों के तेल की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत है। खाद्य तेल पर आयात शुल्क बढ़ाने और किसानों को उच्च खरीद मूल्य प्रदान करने पर जोर दिया जाना चाहिए। वह बाकी काम खुद कर लेंगे। समाधान के रूप में विवादास्पद और जोखिम भरे जीएम सरसों के लिए मजबूर करने के लिए किसी भी तरह के तर्क का उपयोग न किया जाए, यह कहीं से भी ठीक नहीं है। और अगर आपने किसी को टीवी विज्ञापनों में यह कहते हुए देखा है, सुना है कि जो सरसों का तेल खरीदते हैं वह काफी हद तक दूषित होता है तो यह एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। ❑❑

(ऑर्गेनाईजर से साभार)

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें :
http://swadeshionline.in/

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीध्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	*वार्षिक*	*आजीवन*
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC : BKID- 0006025 (Ramakrishnapuram)** में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

मधुमक्खियों को बचाओ

सुनहरे पीले रंग के लहलहाते सरसों और केनोला के फूलों के से मकरंद निकालती मधुमक्खियों की छवि को अलग नहीं किया जा सकता। यह अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ है जो अनादिकाल से सरसों और शहद मधुमक्खियों के अनूठे और अद्भुत जुड़ाव को दर्शाता है।

धरती पर मानव जाति के प्रकट होने से पहले ही फूल वाले पौधे और कीड़े विकसित हो गए थे। मधुमक्खियां 60 से 100 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में आ गई थी। पौधों ने प्रजनन का एक तंत्र विकसित किया, जिसमें परागण भी शामिल था। पृथ्वी पर फूलों और पौधों की ढाई लाख से ज्यादा प्रजातियां हैं, जिनमें अधिकांश का परागणकर्ता मधुमक्खियां ही है। फूलों, पौधों से मधुमक्खियों का अत्यंत निकट का जुड़ाव है। रंगीन फूलों में पराबैंगनी प्रकाश को प्रतिबिंबित करने की क्षमता होती है। मधुमक्खियां ऐसे प्रकाश को देखने में माहिर होती हैं। समय के साथ स्व–निषेचन को रोकने के लिए पौधों ने स्वयं को विकसित किया। पौधों ने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, रंगीन फूलों के उत्पादन में समृद्ध पराग के लिए भारी निवेश भी किया। दूसरी ओर पशु परागणकर्ताओं ने इन पुष्प संसाधनों का उपयोग करने के लिए अपने आहार व्यवहार को संशोधित किया। कहने का आशय यह है कि मधुमक्खियां केवल मेहमान नहीं है, बल्कि अच्छी तरह से अपनाई गई सह–जीवन हैं। क्योंकि वह फूलों से एकत्रित उत्पादों के जरिए अपने बच्चों का पालन पोषण करती है और बदले में पौधों को परागण की सेवा प्रदान करती है। भारत सरसों और कनोला की अनुवांशिक विविधता से भरा हुआ क्षेत्र है। इस समूह में अनेकों जंगली प्रजातियों के अलावा पीली सरसों, भूरी सरसों, तोरिया, केरिनाटा, तारामिरा जैसी प्रजातियां भी शामिल हैं। भारतीय सरसों की प्रमुख प्रजाति ब्रासिका जांसिया मुख्य रूप से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पूर्वी राज्यों के पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में सर्दियों के मौसम में सीमित नमी की स्थिति में उगाई जाती है। भारत मधुमक्खियों की चार प्रसिद्ध प्रजातियों में से तीन का घर है। भारतीय छत्ता मधुमक्खी (एपी सेरेना) जो पालतू और जंगली दोनों में उपलब्ध है, दूसरा, जंगली मधुमक्खियां चट्टान या विशाल मधुमक्खी (एडोरसटा) और तीसरी छोटी मधुमक्खी एफ्लोरिया।

प्रकृति ने धीमी विकासवादी प्रक्रिया में 'सरविवल आप द फिटेस्ट' के सिद्धांत को लगातार अंजाम दिया है। प्रकृति से प्रेरणा लेते हुए वैज्ञानिकों ने भी बेहतर उपज और गुणवत्तापूर्ण लक्षणों वाली किस्मों का चयन करके पारंपरिक प्रजनन पद्धतियों को अपनाया। विज्ञान की तीव्र प्रगति ने पारंपरिक प्रजनन का चेहरा बदल दिया और जेनेटिक इंजीनियरिंग के हालिया दृष्टिकोण ने अनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम फसलों के प्रजनन के लिए अंतर विशिष्ट जीन स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की। जीएम फसलों को प्रमुख गेमचेंजर के रूप में पेश किया गया, लेकिन इसे लेकर दुनिया दो फाड़ में बंटी हुई है। एक, अधिक उत्पादन को लेकर इसके पक्ष में है, तो दूसरा, इसके बुरे प्रभावों के मद्देनजर विपक्ष में खड़े हैं। कपास, मक्का, सोयाबीन, बैंगन, चुकंदर, प्याज की तरह जीएम फसलों की बढ़ती सूची में अब सरसों भी शामिल है। मालूम हो कि बीटी कपास भारत में पहली जीएम फसल थी। शुरुआत में इसकी सफलता देखने को मिली पर बाद में कई कारणों से इसकी असफलता ही साबित हुई। देश में बीटी बैंगन के अवैध रोपण की भी रिपोर्ट अक्सर मिलती रहती है। स्टेट आफ जेनेटिक मैनिपुलेशन आफ क्रास प्लांट (सीजी एमपीसी) ने दिल्ली विश्वविद्यालय साउथ कैंपस द्वारा विकसित जेनेटिकली इंजिनियड मस्टर्ड हाइब्रिड डी.एम.एच.–11 के लिए वर्ष 2016 में पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय से मंजूरी मांगी थी जिसे सार्वजनिक दबाव में टाल दिया गया था।

जीएम सरसों के आने से मधुमक्खी पालन उद्योग पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।

– प्रो. ओ.पी. चौधरी

पोलिनेटर्स का योगदान

वर्ष 2017 में चौधरी और चांद द्वारा किए गए अनुमानों के मुताबिक भारत में मुख्य रूप से तिलहन उत्पादन में 14 फसलें विशिष्टता से शामिल है। राष्ट्रीय कृषि उत्पादन में इसका योगदान 10 प्रतिशत है जिसका कुल मूल्य 129341 करोड रुपए होता हैं। तिलहन अनिवार्य रूप से मधुमक्खियों के परागण पर निर्भर है। भारत में सरसों और केनोला का अनुमानित आर्थिक मूल्य 19356 करोड़ होता है। 34.1 प्रतिशत की औसत अनुमानित आर्थिक मूल्य सभी तिलहनों का योगदान 46993 करोड़ रुपए सालाना है। हाल ही में पर्यावरण और वन मंत्रालय की जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति ने जीएम सरसों के जैव सुरक्षा मूल्यांकन का समापन करते हुए इसके वाणिज्यक रिलीज का मार्ग प्रशस्त कर इसकी मंजूरी दे दी है। हालांकि उच्चतम न्यायालय के दखल से डीएमएच–11 की रिलीज रुकी हुई है। बी.ओलरेशिया, बी.करीनाटा, सिनॉप्सिस, अल्बा और राफानस सेटीबस में फूल आने में अमूमन 112 दिन लगते हैं, जबकि डीएमएच–11 में 58 दिन में ही आ जाते हैं। फुल आने में लगने वाले दिनों में पर्याप्त अंतर और बदलते मौसम के तहत समसामयिक फूलों की अनुपस्थिति को नकारने का प्रस्ताव किया गया है। डेवलपर्स द्वारा अन्य प्रजातियों के बीच इसके फैलने की संभावना न होने की बात वास्तव में वास्तविकता के विपरीत है, क्योंकि खेत की मौजूदा स्थितियों में कंपित बुवाई करने से बचना व्यवहारिक रूप से असंभव है।

मौसम की स्थिति, खेतों की उपलब्धता, वर्षा, अंकुरण, कीटों के कारण फसलों के विनाश आदि जैसे कई कारकों के कारण आमतौर पर तिलहन की बुवाई अक्टूबर से लेकर मध्य नवंबर के बीच होती है जिसके कारण तुल्यकालिक फूल आते हैं और जिन प्रवाह में भी काफी वृद्धि होती है। ऐसे में बोलरेसिया

और अन्य तिलहनी फसलों के साथ संदूषण और फैलाव न केवल आसपास के क्षेत्र में होगा, बल्कि मधुमक्खियों की संपूर्ण फोर्जिंग रेंज भी इसके दायरे में होगी। शाकनाशी बास्टा प्रतिरोधी पौधों की उपस्थिति के कारण जीएम परागण यात्रा केवल 20 मीटर तक अनुमानित है हालांकि 3 किलोमीटर की दूरी तक हनी बी मीडिएट जिम ट्रांसफर को फैक्टर करने में विफल होगी। यहां तक कि बी. जांसिया किस्मों के साथ डीएमएच 11 की इंटर स्पेसिफिक क्लास एबिलिटी तब तक विनाशकारी साबित हो सकती है जब तक कि सुरक्षित बाड़ो में बीज उत्पादन सुनिश्चित नहीं किया जाता है, जिसकी संभावना बहुत कम है। बीज उत्पादन के दौरान दुर्घटनाओं और जानबूझकर किए गए कार्यों से उत्पन्न होने वाली जटिलताओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

72 घंटे तक डीएमएच 11 परागण की व्यवहारिकता दुश्वारियां को और भी बढ़ा देने का संकेत देती है जो सरसों के मौसम की समाप्ति के बाद उत्तर और मध्य भारत से वापस बिहार के पूर्वी राज्यों में आने वाली मधुमक्खियों की कालोनियों से बड़े पैमाने पर संदूषण का कारण बन सकती है। अभी 48 घंटे में पीली सरसों में फूल आ जाते हैं। इस तरह के क्रासकंट्री संदूषण अधिक मांग वाली हमारी पीली सरसों को एकदम से बर्बाद कर सकते हैं।

सुरक्षा संबंधी चिंताओं को लेकर जारी की गई हालिया रिपोर्ट में जो निष्कर्ष निकाला गया है वह भी भ्रामक है। दस्तावेज में वर्णित खाद्य और पर्यावरण सुरक्षा मूल्यांकन में किसी भी मापने योग्य जोखिम को प्रकट नहीं किया है। नए संकरो के लिए प्रौद्योगिकी के निरंतर उपयोग के लिए कुछ रिलीज के बाद निगरानी प्रबंधन को एहतिहाती उपाय के रूप में सुझाया गया है। सुझाए गए उपायों में विशेष रूप से शहद में प्रोटीन की उपस्थिति के संबंध में तथा मधुमक्खियों के व्यवहार की निगरानी की बात शामिल है। गैर लक्षित जीवो और अंतर विशिष्ट अंतःक्रियाओं पर लगभग चुप्पी है। डीएमएच 11 के विकासकर्ताओं का यह बयान इस बात का प्रमाण है कि परीक्षण के दौरान अनिवार्य प्रोटोकाल नहीं अपनाए गए हैं और रिलीज के बाद उन्हें हटा दिया गया है जो कि अस्वीकार्य है। कीट पर जीवो और शिकारियों की कमी वाले अनिवार्य जैव सुरक्षा मूल्यांकन के लिए भी कमोबेश यही स्थिति है। ज्ञात है कि 1978 से 1983 में उत्तर–पूर्व से उत्तर भारत और 1991 से 93 के बीच दक्षिण भारत में 95 प्रतिशत तक भारतीय छत्ता मधुमक्खियों ए.सेरोना कालोनियों का तेजी से नाश कर दिया, जिसके कारण भारत में एक फलता फूलता शहद उद्योग लगभग बर्बाद हो गया। उस बर्बादी की गूंज अब भी मधुमक्खी पालन बिरादरी के कानों में गूंजती रहती है। जीएम सरसों डीएमएच 11 को पेश करने की वर्तमान पहल उन घटनाओं की गंभीर याद दिलाती है जो भविष्य में भी सामने आ सकती है। भारतीय मधुमक्खी पालन इस समय कोई और झटका सहने की स्थिति में नहीं है। अनादि काल से सरसों और मधुमक्खियों का पारस्परिक मेलजोल हाल की दुनिया और भारतीय घटनाओं में तेजी से आग फैलने और घातक कीट व बीमारियों की महामारी की एक पूर्व चेतावनी है जिसे अनावश्यक दुस्साहसों में शामिल होने से अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। यह एक ऐसी परिस्थितिक निर्मित आपदा होगी जो मधुमक्खियों के साथ–साथ मधु पालक बिरादरी को भी बर्बाद कर देगी। ❑❑ (ऑर्गेनाईजर से साभार)

चीन में अनहोनी की सुगबुगाहट

चीन की शून्य कोविड रणनीति के कारण वहां के आम नागरिकों में व्यापक आक्रोश और विरोध का माहौल बना हुआ है। चीन में इन दिनों जनता और तानाशाह शी जिनपिंग के बीच ठन गई है। तानाशाह पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो वहीं जनता अब और सहने के मूड में नहीं है। 1989 में थ्येनमेन चौराहे पर अपनी जनता पर तोप चलाने से भी चीन के पूर्व तानाशाहों ने गुरेज नहीं किया था। उस समय चीन में हुए लोकतंत्र समर्थक विरोध में अधिकतर विद्यार्थी हिस्सा ले रहे थे। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने विद्यार्थियों के इस विद्रोह को दबाने के लिए उन्हें फांसी की सजा दी और उसका टेलीकास्ट टीवी पर करवाया था, जिससे जनता की हड्डियों में डर समा जाए, एक बार फिर उसी तरह का माहौल वहां बना हुआ है।

विडंबना यह है कि लॉकडाउन में ढ़ील देने से बीमारी और मृत्यु में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि बुजुर्ग चीनी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पूरी तरह से टिका लगवाया नहीं है। हालिया विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर कुछ इलाकों में थोड़ी ढील दी गई है, लेकिन प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह चौकस है। प्रदर्शनकारियों के नेताओं को साधने की कोशिश की जा रही है। चीनी विश्वविद्यालयों को बंद कर दिया गया है। पुलिस तानाशाही नहीं, बल्कि लोकतंत्र की वकालत करने वालों और विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए सड़कों पर उतरी है। लोग फिर भी उत्तेजित हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी स्वतंत्रता पर बहुत कठोर अंकुश लगाया गया है। यह वे नागरिक हैं जिन्होंने कभी लोकतंत्र का स्वाद नहीं चखा है। उनकी सत्ता में कोई हिस्सेदारी नहीं है और न ही उनका सुझाव देने में कोई भूमिका नहीं है कि उन्हें कैसे शासित किया जाना चाहिए, फिर भी उन्होंने सड़कों पर आने का विकल्प चुना है।

2022 में चीन की फिजां बदली हुई है। चीन की अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है। विनिर्माण का काम रुका हुआ है। आपूर्ति श्रृंखला बाधित है। लॉकडाउन की नीति को सख्ती से लागू करने के कारण महंगाई बढ़ रही है। बेरोजगारी चरम पर है। प्रॉपर्टी बाजार का बुलबुला फूट चुका है। बैंक दिवालिया हो रहे हैं। लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। कारखाने के उत्पादन में आई मंदी ने आम जनता की दैनिक रोटी कमाने की क्षमता को भी प्रभावित कर दिया है। लेकिन चीन अपने शीर्ष नेतृत्व मुख्य रूप से राष्ट्रपति की भूल को पेश करने के उद्देश्य से अपने स्वयं के प्रचार में ही फंस गया है। शी ने समृद्धि का आह्वान किया है, जो जीरो कोविड जैसा नारा मात्र है। हालांकि वहां विरोध निश्चित रूप से उस चरण तक नहीं पहुंचा है, जहां राज्य स्थिति पर नियंत्रण खो देता है। फिलहाल इसकी संभावना भी नहीं है। कोई याद कर सकता है कि कैसे 1989 के विद्रोह को क्रूर बल से कुचल दिया गया था। फिर भी किसी को यह स्वीकार करना चाहिए कि इस तरह के क्रोध का विस्फोट एक ऐसे देश में साहस का काम करता है, जहां बहुत कमजोर कानूनी अधिकार वाले व्यक्तियों को बंदूक के बल पर नियंत्रित किया जाता है।

चीन की मौजूदा शांति वहां के राष्ट्रपति शी के अधिकार को चुनौती देने वाली हो सकती है लेकिन निकट भविष्य में दुनिया के बारे में उनके विचार में बदलाव की संभावना नहीं है।

– के.के. श्रीवास्तव

चीन की अर्थव्यवस्था को जल्दी ठीक होने की संभावना नहीं है। युआन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपना जमीन खो चुका है। साथ ही विरोध प्रदर्शनों का अंतरराष्ट्रीय करण भी बढ़ रहा है, जिसमें दुनिया के कई हिस्से में लोग चीनी दूतावासों के सामने इकट्ठा होकर अपना विरोध जता रहे हैं। आमतौर पर चीन इस तरह की आलोचनाओं को खारिज करता रहा है। इस बार थोड़ी बात अलग

दिख रही है। क्या हम चीन पर विश्वास कर उसे खूली छूट से खेलने का अवसर दे सकते हैं? चीन जिम्मेदारी से कार्य करेगा, इसकी फिलहाल कोई संभावना नहीं है। ऐसा देखते हुए भी कि शी लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं और उनके शासन मॉडल का हर कीमत पर बचाव किया ही जाएगा। शी अपने अधिकार में सेंध लगाने की अनुमति कतई नहीं दे सकते, लेकिन हालिया घटनाओं से यह भी अनुमान किया जा सकता है कि वर्ष 2023, 1989 नहीं होगा। तब चीन ने आर्थिक उच्च भूमि को प्राप्त किया था, अब इसकी संभावना बहुत कम नजर आ रही है। इसे हालिया आर्थिक अनुमानों से भी समझा जा सकता है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) को उम्मीद है कि 2022 में चीनी अर्थव्यवस्था 3.2 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी, जो एशिया में अपने उभरते बाजार साथियों की तुलना में लगभग 1.2 प्रतिशत धीमी है। वास्तव में चीनी अर्थव्यवस्था गति खो रही है। 2002 से 2012 के बीच अर्थव्यवस्था वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के सीएजीआर में लगभग 11 प्रतिशत बढ़ी, लेकिन यह दर 2012 से 2021 के शी शासन अवधि के दौरान 7 प्रतिशत से भी अधिक कम हो गई। शी का लक्ष्य अगले दशक में चीन को मध्य स्तर का विकसित देश बनाना है, इसके लिए इसे सालाना करीब 5 प्रतिशत की दर से बढ़ने की जरूरत होगी, लेकिन कुछ टिप्पणीकारों का अनुमान है कि यह वास्तव में लगभग 2.5 प्रतिशत ही बढ़ सकता है। तो यह केवल अस्थाई लॉकडाउन की बात नहीं है। घटती जनसंख्या, घटती उत्पादकता, वृद्धि और भारी कर्ज के बोझ ने इसे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से रोक दिया है, जबकि पहले (डेंग शियाओपिंग के शासन के दौरान) निजी पूंजी (वैश्विक खिलाड़ियों) का स्वागत किया गया था। अब राज्य के लिए अधिक भूमिका अधिक केंद्रीय योजना और सामान्य समृद्धि की प्राप्ति होगी। राज्य और निजी पूंजी के बीच समीकरण का यह समुद्री बदलाव चीनी आर्थिक संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

आर्थिक, राजनीतिक, शासन सभी मामलों में शी का एजेंड़ा पूरी तरह से उनकी नीतियों को सही साबित करने की आवश्यकता से प्रेरित लगता है, लेकिन इस प्रक्रिया में शासन का यह अधिनायकवादी मॉडल आम नागरिकों की दुर्दशा का जवाब देने में विफल रहा है। आगे भी इसके विफल होने की ही संभावना है। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि राजनीतिक और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की आर्थिक भलाई द्वारा भरपाई नहीं की जाएगी, तब तक नाराजगी और गुस्से वाले विरोध प्रदर्शनों में वृद्धि होगी। हालांकि वहां की सरकार के नरम पड़ने के संकेत नहीं है, लेकिन अहम सवाल है कि लंबे समय तक चीनी मॉडल अपना अस्तित्व कैसे बनाए रखेगा। चीनी राज्य को अपनी प्रजा पर अब तक अपार शक्ति प्राप्त है। शायद यह अपने स्वयं के अधिकार के प्रति अनिश्चित हो सकता है, एक मॉडल के रूप में लोकतंत्र आदर्श नहीं हो सकता। लेकिन सत्तावादी शासन निश्चित रूप से गहरे संकट में है। लोग स्वतंत्रता के लिए तरस रहे हैं। राजनीतिक और आर्थिकतौर पर वे खुद को थोड़ा और ज्यादा आजाद करना चाहते हैं। बंद समाज जो अपने सदस्यों की भलाई को जोखिम में डालते हुए राष्ट्रवादी गौरव का पोषण करते हैं, वह उथल–पुथल के लिए खुले हैं। इसीलिए चीन ने विदेशी वैक्सीन को खारिज करते हुए महामारी को रोकने में खुद को असमर्थ पाया। जिन लोगों का पेट भरा हुआ है वह कुछ समय के लिए अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता को छोड़ने का विकल्प चुन सकते हैं लेकिन जब आर्थिक विकास भी नहीं हो पाता है तो वह अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महत्व समझने लगते हैं।

फिर भी निकट भविष्य में चीन के वर्तमान शासन का मृत्यु लेख लिखना जल्दबाजी होगी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि शी एक और सामरिक रियायतें दे सकते हैं और दूसरी ओर लक्षित दमन का प्रयास कर सकते हैं। वास्तव में वहां की सरकार ने उस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। दूसरा, अधिकांश विरोध जैसा कि इतिहास हमें बताता है या तो एक क्रूर बल के माध्यम से दबा दिया जाता है या तो वह अपने आप ही फीका पड़ जाता है। तीसरा, इस तरह के विरोधों के लिए एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता होती है। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहां के विरोध प्रदर्शनों को फैलने से रोक दिया गया है और लगभग दबा दिया गया है। चौथा, जब वहां की सत्ता एक आदमी और उसके आश्रितों में ही केंद्रित है तो ऐसे में इस बात की बहुत कम संभावना है। शी जल्दी से अपने अधिकार को फिर से हासिल करने में कोई देरी करेंगे। हालांकि दुनिया चीन के शी शासन को थोड़ा पीछे हटते हुए देख सकती है, लेकिन उसमें पूरी सच्चाई नहीं है। दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के हथकंडे आगे भी शी अपनाते रहेंगे।

ऐसे में सवाल है कि इसके आगे क्या है? मेरी राय में शी को अभी तक अपने शासन या नीतियों के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है, फिर भी उसके लिए आत्म–त्याग की मुद्रा में रहना मूर्खता होगी। उनके अधिकार को निश्चित रूप से चुनौती दी गई है। अब जबकि शी चीन को आक्रामक संशोधनवादी विश्व नेता के रूप में पुनर्स्थापित करना चाहते हैं, अपने मन के मुताबिक स्थानीय और विश्व व्यवस्था को फिर से आकार देना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि उन्हें दुनिया भर की प्रतिक्रियाएं झेलनी ही होगी। जिनपिंग ने चीनी सत्ता पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित तो कर लिया है, लेकिन चीनियों का एक बड़ा वर्ग देश के भविष्य को नकारात्मक रूप से देखना देखने लगा है। आर्थिक विकास के लिए बाजारों के खिलाफ राज्य पर बढ़ती निर्भरता साझा नियत के नाम पर अधिक मुखर नीतियां और राजनीतिक नियंत्रण के साथ उन्होंने सब कुछ अपने कब्जे में करने की कोशिश की है। उनकी इन कार्रवाइयों से भविष्य का आभासी झलक तो मिल रही है लेकिन वास्तविक तस्वीर सामने आनी अभी बाकी है। ❑❑

भारतीय भू–जल की वास्तविकता

भारतीय जीवन बहुतायत भू–जल की स्थिति पर निर्भर करता है। गांव–गांव में और गली–गली में खड़े जो हैंड–पंप दिखाई देते है, वह यही कहते है। यह बात और है कि बहुतों में पानी नहीं आता है और आता भी है तो बहुत गहरे तल से। क्योंकि यह आम राय है कि भू–जल स्रोत के लिए बहुत गहराई तक खुदाई करनी पड़ती है और आए दिन भू–जल स्तर नीचे ही जा रहा है। लेकिन हाल ही में केंद्रीय भूमि जल बोर्ड और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने एक 'डायनेमिक ग्राउंड वॉटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट 2022' (सक्रिय भूमि जल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट–2022) प्रकाशित की है, जिसके अनुसार, देश में भू–जल री–चार्ज में बढ़ोतरी देखी गई है और अति दोहन किए जाने वाली इकाइयों की संख्या तथा भू–जल की निकासी–स्तर में गिरावट भी दर्ज की गई है। वैसे यह है तो सकारात्मक बात। लेकिन इस पर संतुष्ट रहना भविष्य में खतरे से कम नहीं होगा। यह नहीं भूलना चाहिए कि भू–जल से ही कृषि सिंचाई का 62 प्रतिशत, ग्रामीण विभाग की जल आपूर्ति का 85 प्रतिशत और शहरों के जल आपूर्ति का 50 प्रतिशत जल आता है।

मूल्यांकन रिपोर्ट क्या कहती है?

1. वर्ष 2022 की इस मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, संपूर्ण देश के लिये कुल वार्षिक भू–जल री–चार्ज 437.60 अरब घन मीटर है तथा संपूर्ण देश में वार्षिक रूप से 239. 16 अरब घन मीटर भू–जल निकाला गया। इसका मतलब यह है कि जितना रिचार्ज होता है उससे 60 प्रतिशत जल निकाला जाता है। 2022 के डाटा से यह भी पता चलता है कि निकालने योग्य भू–जल के मुक़ाबले में हरियाणा ने 134 प्रतिशत, पंजाब ने 166 प्रतिशत और राजस्थान ने 151 प्रतिशत ज्यादा भू–जल निकाला है।
2. देश में कुल 7089 मूल्यांकन इकाइयों में से 1006 इकाइयों को 'अति–दोहन' की श्रेणी में रखा गया है। रिचार्ज के मुक़ाबले भू–जल निकालने की स्थिति भी महत्वपूर्ण है। 14 प्रतिशत इकाइयां रिचार्ज से ज्यादा भू–जल निकाल लेती है। इसमें से 4 प्रतिशत इकाइयां रिचार्ज हुआ, 90–100 प्रतिशत जल निकाल लेती है। 67 प्रतिशत इकाइयां सुरक्षित श्रेणी में है, जिससे रिचार्ज हुआ भू–जल 70 प्रतिशत या उससे कम निकाला जाता है।

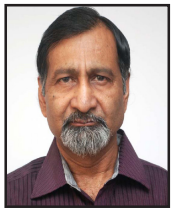

पूरे देश में जल आपूर्ति का प्रश्न गंभीर रूप ले रहा है और यह कहने के लिए किसी रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है।
– अनिल जवलेकर

3. वर्षा ही भू–जल के रिचार्ज का मुख्य स्रोत है, जो करीब 61 प्रतिशत भू–जल रिचार्ज करता है। यह वर्षा बहुत से प्रांतों में जून–सितंबर में होती है। बाकी 39 प्रतिशत जल भराव सिंचाई कैनाल, तालाब वगैर से जल रिझाव से होता है। यह भी देखा गया है कि भारत की दो तिहाई भूमि दरारों वाली होने के कारण जल को रोककर नहीं रख सकती, जिसका भू–जल रिचार्ज पर असर होता है।
4. रिचार्ज योग्य क्षेत्र का विचार किया तो यह देखा गया कि 24.69 लाख वर्ग किमी. में से 66 प्रतिशत क्षेत्र सुरक्षित श्रेणी में आता है। 17 प्रतिशत क्षेत्र अति दोहन तथा 15 प्रतिशत खतरनाक तथा खतरनाक जैसे स्थिति में आता है। मतलब करीब 32 प्रतिशत क्षेत्र शोचनीय स्थिति में है।
5. ज्यादा निकलने वाला जल क्षेत्र साधारणतः देश का उत्तर–पश्चिम क्षेत्र है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश आते है। राजस्थान और गुजरात जैसे राज्य जहां मौसम शुष्क होता है और रिचार्ज की स्थिति स्थिर नहीं होती, वहां भू–जल स्रोत पर दबाव रहता है। दक्षिणी राज्यों में जैसे कि कर्नाटक, तमिलनाडू, आंध्र प्रदेश में जल भराव की स्थिति क्रिस्टलाईन चट्टानों की वजह से कम है।
6. 2022 के मानसून पूर्व जमा डाटा अनुसार देश के ज़्यादातर हिस्से में सर्वसाधारण जल की गहराई जमीन के नीचे 5 से 10 मीटर के दरमियान पाई गई। कुछ हिस्से में यह गहराई 2 मीटर पाई गई, तो कही 2–5 मीटर। बहुत से पश्चिमी–उत्तर क्षेत्र में यह गहराई (दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान) 20 से 40 मीटर तक नीचे पाई गई। 130 मीटर से भी ज्यादा गहराई पर जल जोधपुर जिले के खारा में पाया गया। देश का प्रायद्वीप कहे जाने वाले क्षेत्र में यह जल 5 से 20 मीटर गहराई में पाया गया।
7. नवंबर 2021 के डाटा अनुसार, 70 प्रतिशत कुंओं की गहराई 5 मीटर तक पाई गई। 40 प्रतिशत कुंओं की गहराई 2 से 5 मीटर पायी गई और 29 प्रतिशत कुंओं की 2 मीटर। 40 मीटर गहरे कुएं चंदीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में पाये गए। 116 मीटर से ज्यादा गहरा कुआं राजस्थान के देशनोख (बीकानेर जिला) में पाया गया।
8. नवंबर 2019 और नवंबर 2021 के बीच का डाटा यह बताता है कि करीब 55 प्रतिशत कुंओं का जलस्तर बढ़ा तथा 44 प्रतिशत कुंओं का कम हुआ।
9. 87 प्रतिशत निकाला गया भू–जल कृषि के काम आता है और बाकी घरेलू तथा उद्योग क्षेत्र में उपयोग में लाया जाता है। उत्तर पूर्व राज्य–दिल्ली, केरल, गोवा, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में 40 प्रतिशत भू–जल घरेलू काम के लिए उपयोग में लाया जाता है।
10. रिपोर्ट आखिर में भू–जल को निकालने एवं उसके संतुलित उपयोग की बात करता है।

भू–जल स्रोत को संभालना जरूरी

पूरे देश में जल आपूर्ति का प्रश्न गंभीर रूप ले रहा है और यह कहने के लिए किसी रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। ऐसे समय में रिचार्ज से कम भू–जल निकाला जाना समाधान दे सकता है। लेकिन यह भी सही है कि भारत दुनिया में भू–जल के उपयोग में सबसे आगे है और यह कहा जाता है कि चीन और अमरीका दोनों मिलकर जितना भू–जल निकालते है उससे भी ज्यादा भारत भू–जल निकालता है। भारत की आबादी बढ़ रही है और शहर भी। निश्चित तौर पर अनियमित भू–जल का उपयोग जल समस्या बढ़ाएगा। जलवायु परिवर्तन से बदलता मौसम वर्षा को और अनियमित करेगा और भू–जल रिचार्ज पर असर करेगा। ऐसे समय में असीमित, अनियंत्रित और अनियोजित भू–जल का उपयोग समस्या गंभीर कर सकता है और यही बात इस विषय के विद्वान कह रहे है। इसलिए जल की बरबादी पर ध्यान देना सबसे जरूरी है। साथ–साथ जल निकासी का नियंत्रण और नियमन भी उपयोगी होगा।

भू–जल के उपयोग में संतुलन जरूरी

सांख्यिकी यह भी बताती है कि वार्षिक रिचार्ज 2004 के मुक़ाबले 2022 में सिर्फ 5 बीसीएम से बढ़ा है जबकि निकालने युक्त जल लगभग उतना ही है। हरित क्रांति की बुनियाद ही कृषि को जल आपूर्ति बढ़ाने पर थी और इसी के चलते सस्ते बिजली की नीति अपनाई गई और भू–जल का उपयोग बढ़ा। हरी क्रांति के क्षेत्र में ही भू–जल स्तर कम है और वहां रिचार्ज से ज्यादा भू–जल निकाला जाता रहा है। कुंओं की गहराई भी उसी क्षेत्र में ज्यादा है और यह जल समस्या को और भी गंभीर कर देता है। जहां सतह पर जल होने के बावजूद उसका उपयोग न कर पाना और भू–जल के ऊपर निर्भर होना कई सवाल खड़ा करता है। पंजाब, हरियाणा जैसे राज्य गहराई में छुपे भू–जल उपयोग में लाते रहे है, जबकि इन्हीं क्षेत्र में सबसे ज्यादा नदियां बहती है। भू–जल और सतह पर उपलब्ध जल का संतुलित उपयोग पर ध्यान देना आवश्यक है। ❑❑

भारत के आर्थिक विकास में जनजाति समाज का है भरपूर योगदान

भारत भूमि का एक बड़ा हिस्सा वनों एवं जंगलों से आच्छादित है। भारतीय नागरिकों को प्रकृति का यह एक अनोखा उपहार माना जा सकता है। इन वनों एवं जंगलों की देखभाल मुख्य रूप से जनजाति समाज द्वारा की जाती रही है। जनजाति समाज की विकास यात्रा अपनी भूख मिटाने एवं अपने को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से केवल वनों के इर्द गिर्द चलती रहती है। वास्तविक अर्थों में इसीलिए जनजाति समाज को धरतीपुत्र भी कहा जाता है। प्राचीन काल से केवल प्रकृति ही जनजाति समाज की सम्पत्ति मानी जाती रही है, जिसके माध्यम से उनकी सामाजिक, आर्थिक एंव पारिस्थितिकीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है। ऐसा कहा जाता है कि अनादि काल से जनजाति संस्कृति व वनों का चोली दामन का साथ रहा है और जनजाति समाज का निवास क्षेत्र वन ही रहे हैं। इस संदर्भ में यह भी कहा जा सकता है कि वनों ने ही जनजातीय जीवन एंव संस्कृति के उद्‌भव, विकास तथा संरक्षण में अपनी आधारभूत भूमिका अदा की है। भील वनवासियों का जीवन भी वनों पर ही आश्रित रहता आया है। जनजाति समाज अपनी आजीविका के लिए वनों में उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते रहे हैं।

भारतीय वन क्षेत्रों में पाए जाने वाले प्रमुख वनस्पतियों, पेड़ों एवं उत्पादित वस्तुओं में शामिल रहे हैं बबूल, बेर, चन्दन, धोक, धामन, धावड़ा, गुदी, हल्दू, इमली, जामुन, कजरी, खेजड़ी, खेड़ा, कुमटा, महुआ, नीम, पीपल, सागवान, आम, मुमटा, सालर, बानोटीया, गुलर, बांस, अरीठा, आंवला, गोंद, खेर, केलडी, कडैया, आवर, सेलाई वृक्षों से करा, कत्था, लाख, मौम, धोली व काली मुसली, शहद, आदि। इनमें से कई वनस्पतियों की तो औषधीय उपयोगिता है। कुछ जड़ीबूटियों जैसे आंवला का बीज, हेतड़ी, आमेदा, आक, करनीया, ब्राह्मी, बोहड़ा, रोंजडा, भोग पत्तियां, धतुरा बीज, हड, भुजा, कनकी बीज, मेंण, अमरा, कोली, कादां, पड़ूला, गीगचा, इत्यादि का उपयोग रोगों के निवारण के लिए किया जाता रहा है। आमेदा के बीजों को पीसकर खाने से दस्त बंद हो जाते हैं। अरण्डी के तेल से मालिश एंव पत्तों को गर्म करके कमर में बांधने से दर्द कम हो जाता है। बुखार को ठीक करने के लिए कड़ा वृक्ष के बीजों को पीस कर पीते हैं। जोडों में दर्द ठीक करने के लिए ग्वार व सैजने

जनजाति समाज को देश के आर्थिक विकास में शामिल करने के उद्देश्य से केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि इस समाज की कठिन जीवनशैली को कुछ हद्द तक आसान बनाया जा सके।

– स्वदेशी संवाद

के गोंद का उपयोग करते हैं। फोडे फुन्सियों एवं चर्म रोग को ठीक करने के लिए नीम के पत्तों को उबालकर पीते हैं। इसके अलावा तुलसी, लौंग, सोठ, पीपल, काली मिर्च का उपयोग बुखार एवं जुखाम ठीक करने के लिए किया जाता है।

शुरुआती दौर में तो जनजाति समाज उक्त वर्णित वनस्पतियों एवं उत्पादों का उपयोग केवल स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही करते रहे हैं परंतु हाल ही के समय में इन वनस्पतियों का उपयोग व्यावसायिक रूप से भी किया जाने लगा है। व्यावसायिक रूप से किए जाने वाले उपयोग का लाभ जनजाति समाज को न मिलकर इसका पूरा लाभ समाज के अन्य वर्गों के लोग ले रहे हैं। उक्त वनस्पतियों एवं उत्पादों का व्यावसायिक उपयोग करने के बाद से ही प्रकृति का दोहन करने के स्थान पर शोषण किया जाने लगा है क्योंकि कई उद्योगों द्वारा उक्त उत्पादों का कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाने लगा है। इससे ध्यान में आता है कि जनजाति समाज द्वारा देश की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने के उद्देश्य से अपनी भूमिका का निर्वहन तो बहुत सफल तरीके से किया जाता रहा है परंतु अर्थव्यवस्था के विकास का लाभ जनजातियों तक सही मात्रा में पहुंच नहीं सका है।

हालांकि भारत में प्राचीन काल से ही जनजाति समाज जंगलों में अपना जीवन यापन करता रहा है और वनोपज (जैसे मध्यप्रदेश में तेन्दु पत्ता को एकत्रित करना) को एकत्रित करता रहा है परंतु अब धीरे धीरे अपने आप को यह समाज कृषि कार्य एवं पशुपालन जैसे अन्य कार्यों में भी संलग्न करने लगा है। जनजाति समाज ने बिना किसी भय के सघन वनों में जंगली जानवरों व प्राकृतिक आपदाओं से लड़ते हुए अपने जीवन को संघर्षमय बनाया है। जनजाति समाज ने कृषि कार्य के लिए सर्वप्रथम जंगलों को काटकर जलाया। भूमि साफ कर इसे कृषि योग्य बनाया और पशुपालन को प्रोत्साहन दिया। विकास की धारा में आगे बढ़ते हुए धीरे–धीरे विभिन्न गावों एवं कस्बों का निर्माण किया।

आज भी जनजाति समाज की अधिकांश जनसंख्या दुर्गम क्षेत्रों में निवास करती है। इन इलाकों में संचार माध्यमों का अभाव है। हालांकि धीरे धीरे अब सभी प्रकार की सुविधाएं इन सुदूर इलाकों में भी पहुंचाई जा रही हैं। परंतु, अभी भी जनजातीय समाज कृषि सम्बन्धी उन्नत विधियों से अनभिज्ञ है। सिंचाई साधनों का अभाव एवं उपजाऊ भूमि की कमी के कारण ये लोग परम्परागत कृषि व्यवस्था को अपनाते रहे हैं और इनकी उत्पादकता बहुत कम है।

जनजाति समाज ने वनों के सहारे अपनी संस्कृति को विकसित किया। घने जंगलों में विचरण करते हुए उन्होंने जंगली जानवरों शेर, भालु, सुअर, गेंडे, सर्प, बिच्छु आदि से बचने के लिए आखेट का सहारा लिया। वनों एवं पहाडियों के आन्तरिक भागों में रहते हुए भील समाज शिकार करके अपनी आजीविका चलाता रहा है। भील समाज जंगलों में झूम पद्धति से खेती, पशुपालन, एवं आखेट कर अपने परिवार का पालन पोषण करते रहे हैं।

घने जंगलों में जनजाति समाज को प्रकृति द्वारा, स्वछंद वातावरण, स्वच्छ जल, नदियां, नाले, झरने, पशु पक्षियों का कोलाहल, सीमित तापमान, हरियाली, आर्द्रता, समय पर वर्षा, मिटटी कटाव से रोक, आंधी एंव तूफानों से रक्षा, प्राकृतिक खाद, बाढ़ पर नियंत्रण, वन्य प्राणियों का शिकार व मनोरंजन इत्यादि प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कराया जाता रहा है। इसी के चलते जनजाति समाज घने जंगलों में भी बहुत संतोष एवं प्रसन्नता के साथ रहता है।

जनजाति समाज आज भी भारतीय संस्कृति का वाहक माना जाता है क्योंकि यह समाज सनातन हिंदू संस्कृति का पूरे अनुशासन के साथ पालन करता पाया जाता है। जनजाति समाज आज भी आधुनिक चमक दमक से अपने आप को बचाए हुए है। इसके विपरीत शहरों में रहने वाला समाज समय समय पर भारतीय परम्पराओं में अपनी सुविधानुसार परिवर्तन करता रहता है।

हाल ही के समय में अत्यधिक आर्थिक महत्वकांक्षा के चलते वनों का अदूरदर्शितापूर्ण ढंग से शोषण किया जा रहा है। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग के अनुसार विश्व में प्रतिवर्ष 110 लाख हैक्टर भूमि के वन नष्ट किये जा रहे है। पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार प्रत्येक देश में उपलब्ध भूमि के लगभग 33 प्रतिशत भाग पर वन होना आवश्यक है। यदि वनों का इस प्रकार कटाव होता रहेगा तो जनजाति समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है।

भारत द्वारा इस संदर्भ में कई प्रयास किए जा रहे हैं। देश में वनों के कटाव को रोकने के लिए वर्ष 2015 एवं 2017 के बीच देश में पेड़ एवं जंगल के दायरे में 8 लाख हेक्टेयर भूमि की वृद्धि दर्ज की है। साथ ही, भारत ने वर्ष 2030 तक 2.10 करोड़ हेक्टेयर जमीन को उपजाऊ बनाने के लक्ष्य को बढ़ाकर 2.60 करोड़ हेक्टेयर कर दिया है ताकि वनों के कटाव को रोका जा सके।

भारत में सम्पन्न हुई वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या 10.43 करोड़ है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत है। जनजाति समाज को देश के आर्थिक विकास में शामिल करने के उद्देश्य से केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि इस समाज की कठिन जीवनशैली को कुछ हद्द तक आसान बनाया जा सके। ❑❑

(प्रहलाद सबनानी के मेल से)

प्रधानमंत्री आवास योजनाः
ग्रामीण व शहरी सभी के लिए आवास

सरकार गरीब कल्याण के लिए ढेर सारी योजनाएं चला रही है, जिसमें आवास योजना भी शामिल है। प्रधानमंत्री आवास योजना को वर्ष 2015 में शुरू किया गया था इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक देश के हर परिवार को ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में आवास देना है ताकि सब के पास रहने के लिए एक अदद पक्का घर हो जाए। लेकिन अब सरकार ने इसकी अवधि वर्ष 2024 तक बढ़ा दी है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2022 तक 2 करोड़ 95 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा गया था। अब तक लगभग 2 करोड घरों का निर्माण कर दिया गया। चूंकि कोरोना महामारी के कारण देश दुनिया के कामों में बाधा पहुंची थी उसका सीधा असर इस योजना पर भी पड़ा है। 95 लाख घर बनने अभी बाकी है, लिहाजा सरकार ने आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए इस योजना की अवधि को बढ़ा दिया है जिससे कि वर्ष 2024 तक हर गरीब को एक पक्का मकान मिल सके।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग लोगों को घर मुहैया कराया जाता है। योजना के अंतर्गत सरकार लोगों को घर बनवाने के लिए लोन पर सब्सिडी की सुविधा देती है। छोटी दीपावली यानि धनतेरस के मौके पर प्रधानमंत्री ने हाल ही में लाखों हितग्राहियों को डिजिटल माध्यम से गृह प्रवेश कराया था। आवास आवंटन के मामले में देश में उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य होने के नाते सबसे आगे है। इसके बाद मध्य प्रदेश और तमिलनाडु क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है।

भारत सरकार द्वारा राज्य केंद्र शासित प्रदेशों केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से देश के शहरी क्षेत्रों में सभी पात्र लाभार्थियों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए क्रियान्वित की गई है। यह योजना देश के संपूर्ण शहरी क्षेत्रों अर्थात वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सभी सांविधिक कस्बों और अधिसूचित नियोजित विकास क्षेत्रों को कवर करती है। इस योजना को चार कार्य क्षेत्रों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है – 1. लाभार्थी के नेतृत्व में निर्माण संवर्धन (बीएलसी), 2. साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), 3. इन सीटू स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर), 4. क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस)। इस योजना के लिए भारत सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है वहीं राज्य सरकार केंद्र शासित प्रदेश लाभार्थियों के चयन सहित योजना को लागू करने में अहम भूमिका अदा करते हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2022 तक 2 करोड़ 95 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा गया था। अब तक लगभग 2 करोड घरों का निर्माण कर दिया गया।

– शिवनंदन लाल

वर्ष 2004 से 2014 के दौरान शहरी आवास योजना के अंतर्गत 8 लाख 4 हजार आवासों का निर्माण पूरा किया गया था। मोदी सरकार के कार्यकाल में सभी पात्र शहरी निवासियों को अधिक से अधिक संख्या में आवास उपलब्ध कराने के मुद्दे पर फोकस किया गया और पीएमएवाई शहरी योजना की परिकल्पना की गई। वर्ष 2017 में मूल अनुमानित मांग 100 लाख आवासों की थी। इस मूल अनुमानित मांग के मुकाबले 102 लाख मकानों का शिलान्यास कर निर्माणाधीन बना दिया गया है। इनमें से 62 लाख आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। कुल स्वीकृत 123 लाख मकानों में से 40 लाख आवासों के प्रस्ताव राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से देर से यानी योजना के अंतिम वर्षों के दौरान प्राप्त हुए थे जिन्हें पूरा करने के लिए

अतिरिक्त और 2 वर्ष की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल की समिति ने इसकी अवधि 2022 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2024 कर दिया है।

मालूम हो कि 2004 से 2014 के बीच आवास योजना के लिए जारी किए गए 20 हजार करोड की कुल राशि के मुकाबले वर्ष 2015 से लेकर अब तक 2 लाख 10 हजार करोड रुपए स्वीकृत हुए हैं। 31 मार्च 2022 तक 1 लाख 18 हजार 20 करोड रुपए की केंद्रीय सहायता राशि जारी हो चुकी है और इस निमित्त 30 दिसंबर 2024 तक 85 हजार 406 करोड रुपए केंद्रीय सहायता सब्सिडी के रूप में जारी किए जाएंगे ।

इसी तर्ज पर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए प्रस्तावित योजना का तीन चौथाई से अधिक का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। सरकार को भरोसा है कि स्थाई प्रतीक्षा सूची में शामिल सभी आवासों का लक्ष्य अमृत महोत्सव के अंत तक पूरे हो जाएंगे। वर्ष 2011 के डेटाबेस का उपयोग करके पहचान की गई मौजूदा स्थाई प्रतीक्षा सूची के हिसाब से अब तक सवा दो करोड़ लाभार्थी पात्र पाए गए हैं। हालांकि इस सूची में शुरू में 2 करोड़ 95 लाख परिवार शामिल थे किंतु मंजूरी के समय सत्यापन सहित कई स्तरों पर की गई जांच में बहुत सारे घरों को पात्र नहीं पाया गया। इसलिए इस सूची को सीमित कर दिया गया आगे इसमें और कमी होने की संभावना है। इसे देखते हुए लगभग 2 करोड मकानों को मंजूरी दी गई है और मंजूरी पाने वाले मकानों में तीन चौथाई का काम पूरा हो चुका है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में बजटीय सहायता के रूप में कुल 19 हजार 269 करोड रुपए का आवंटन उपलब्ध कराया गया था। इसके अलावा 20 हजार करोड रूपए की अतिरिक्त बजटीय सहायता प्रदान की गई। कुल मिलाकर 39 हजार 269 करोड रुपए की राशि जारी की गई जो योजना शुरू होने के बाद किसी भी वर्ष में जारी की गई सबसे अधिक राशि है। राज्यों की हिस्सेदारी सहित राज्य द्वारा किए गए वह में मौजूदा वित्त वर्ष में 46 हजार 661 करोड़ की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014–15 से आवास कार्यों की गति में तेजी आई है जिसमें पूर्ववर्त्ती इंदिरा आवास योजना भी शामिल है। सुधारों पर जोर देने के कारण इंदिरा आवास योजना में भी 73 लाख घरों का निर्माण पूरा हुआ है।

कुछ कार्यान्वयन सुधारों के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सरकार ने मकानों के निर्माण की गति और गुणवत्ता में सुधार करने, लाभार्थियों को समय पर सहायता राशि जारी करने, लाभार्थियों के खाते में धन का प्रत्यक्ष हस्तांतरण, लाभार्थियों के लिए तकनीकी सहायता सुनिश्चित करने और एमआईएस आवास सॉफ्ट तथा आवास ऐप के माध्यम से कड़ी निगरानी रखने का लक्ष्य रखा है।

इस बीच पात्र परिवारों की पहचान के लिए फील्ड अधिकारियों की मदद से सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा आवास प्लस नाम का एक सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण में पता चला है कि कई लोगों को पात्र होने के बावजूद स्थाई प्रतीक्षा सूची में शामिल नहीं किया गया है। वित्त मंत्रालय ने ऐसे पात्र परिवारों को शामिल किए जाने पर सहमति दी है। बताते हैं कि सर्वेक्षण नतीजे की समीक्षा की जा रही है और इसके बाद इसका कार्यान्वयन किया जाएगा।

आजादी के अमृत काल में सभी के लिए आवास के सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय ग्रामीण विकास व शहरी कार्य मंत्रालय की हालिया बैठक में किफायती आवास के लिए सबको शामिल करने की सुविधा, किफायती आवास की सुपुर्दगी बढ़ाने के लिए अन्य योजनाओं शहरी नियोजन और बुनियादी ढांचे की रणनीतियों के साथ तालमेल तथा किफायती आवास क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया।

वर्ष 2022–23 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने शहरी आवास के महत्व को रेखांकित किया था तथा कहा कि भारत 2022 से 2047 तक अगले 25 वर्षों के अमृत काल के दौरान अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जो कार्य नीति तैयार की है उनमें सबके लिए घर को प्राथमिकता दी गई है। पीएम आवास योजना के तहत चिन्हित पात्र लाभार्थियों ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए 80 लाख घरों का लक्ष्य पूरा करने के लिए 48 हजार करोड की राशि आवंटित की गई है इसमें 28 हजार करोड़ का प्रावधान शहरी क्षेत्र के लिए है। यह वित्तीय प्रतिबद्धता न केवल आश्रय प्रदान करेगी बल्कि 80 लाख लाभार्थी परिवारों के जीवन में सम्मान भी जोड़ेगी। इससे देश के लगभग 4 करोड़ नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ होगा। वर्ष 2022 देश में बनने वाले इन 80 लाख घरों में 28 लाख घर शहरी इलाकों में तथा 52 लाख घर ग्रामीण क्षेत्रों में बनेंगे।

जहां तक इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की बात है तो सबसे पहले पीएमएवाई की अधिकारिक वेबसाइट pmaymis.gov.in पर लॉग इन कर एलआईजी, एमआईजी, ईडब्ल्यूएस या स्लमवासियों के तहत विकल्प चुनना होता है। इसके बाद आधार नंबर दर्ज कर उसका विवरण स्थापित सत्यापित करना होता है। सभी विवरण देने के बाद कैप्चा कोड डालकर सबमिट कर देने से आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।

3 लाख से 18 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाला कोई भी परिवार इसके लिए आवेदन कर सकता है। आवेदक या आवेदक के परिवार के पास देश के किसी भी हिस्से में पक्का घर नहीं होना चाहिए। ❑❑

रोजगार के बरक्स

बीते मंगलवार को केंद्र सरकार ने रोजगार मेला के तहत 71 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया है, इससे पहले दिवाली पर 75 हजार युवाओं को प्रधानमंत्री ने विभिन्न विभागों में नियुक्ति का तोहफा दिया था। इस तरह एक महीने के भीतर 1 लाख 46 हजार को रोजगार मिला। सरकार ने 10 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए सभी राज्य सरकारों से भी बढ़–चढ़कर नौकरियां देने की अपील की गई है। लेकिन इसी अवधि में श्रमिक भागीदारी दर (एलपीआर) में दर्ज की गई गिरावट न सिर्फ कामकाजी आबादी के बीच पनपती निराशा का संकेत है, बल्कि रोजगार पैदा करने में अक्षम होने की कहानी भी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनामी (सीएमआईई) के आंकड़े बताते हैं कि अक्टूबर 2022 में रोजगार की दर घटकर 36 फ़ीसदी पर आ गई, जो साल भर पहले इसी अवधि में लगभग 37.3 फीसदी थी। अक्टूबर के महीने में नौकरियों की संख्या में 78 लाख की गिरावट आई, लेकिन बेरोजगारों की संख्या 56 लाख ही बढी। यानी 22 लाख लोग रोजगार बाजार से निराश होकर अपने घरों को लौट गए। सितंबर 2022 में बेरोजगारी की दर 6.4 प्रतिशत थी जो कि अक्टूबर 2022 में बढ़कर 7.8 प्रतिशत हो गई है। ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ जोंक की तरह चिपकी बेरोजगारी के दरमियान कुछ हजार नौकरियों का तोहफा रोजगार के बाजार में ऊंट के मुंह में जीरा जैसा ही है।

वैश्विक मंदी की आशंका के बीच बेरोजगारी के संकट से घिरे भारत के नीति निर्माताओं को अपनी प्राचीन आर्थिक पद्धति को गौर करते हुए स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत स्वावलंबी भारत की पहल गंभीरता के साथ करनी होगी

– डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र

आंकड़े और अनुभव दोनों इस बात की गवाही दे रहे हैं कि घरेलू बाजार में मांग नहीं है और ऊंची महंगाई दर इसे और नीचे लाने में जुटी हुई है। दूसरी तरफ वैश्विक मांग में गिरावट के कारण निर्यात भी लगातार नीचे की ओर जा रहा है। अक्टूबर 2022 में निर्यात 16.58 प्रतिशत गिरकर 20 महीने के निचले स्तर 29.8 अरब डालर पर आ गया है जबकि आयात 6 फीसदी बढ़कर 56.69 अरब डालर पर पहुंच गया है। यदि अप्रैल से अक्टूबर 2022 के आंकड़े को देखें तो निर्यात में मात्र 12.55 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यह 263.35 अरब डालर का रहा है, जबकि आयात 33.12 प्रतिशत बढ़कर 436.81 अरब डालर पर पहुंच गया। आयात निर्यात का यह विपरीत रुझान घरेलू रोजगार बाजार के भविष्य के लिए दो धारी तलवार की तरह है। एक तरफ निर्यात में गिरावट के कारण नौकरियां घट रही हैं तो दूसरी तरफ आयात बिल बढ़ने से पूंजीगत निवेश प्रभावित हो रहा है। ऐसे में यक्ष प्रश्न है कि फिर नौकरियां कैसे पैदा हो पाएंगी?

चिंता की बात यह है कि शहरी बेरोजगारी के साथ–साथ ग्रामीण बेरोजगारी में भी वृद्धि हुई है। जून 2020 से ग्रामीण बेरोजगारी की दर जो 7.7 प्रतिशत थी, अक्टूबर महीने में 8 का आंकड़ा पार कर गई है। एलपीआर लगातार 40 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है। नौकरियों के मामले में कृषि क्षेत्र नवंबर 2021 में अपने उच्चतम पर था, जब इस क्षेत्र में 16.4 करोड़ लोग रोजगाररत थे, लेकिन उसके बाद से आंकड़ा तेजी के साथ नीचे आया और सितंबर 2022 में

(शेष पृष्ठ 33 पर ...)

आर्थिक दृष्टि से अगली सदी होगी भारत की

अभी हाल ही में अमेरिका के निवेश के संबंध में सलाह देने वाले एक प्रतिष्ठित संस्थान मोर्गन स्टैनली ने अपने एक अनुसंधान प्रतिवेदन में यह बताया है कि वैश्विक स्तर पर आर्थिक विकास की दृष्टि से अगला दशक भारत का होने जा रहा है। इस संबंध में उक्त प्रतिवेदन में कई कारण गिनाए गए हैं।

भारत में केंद्र सरकार ने विनिर्माण के क्षेत्र में बड़े आकार की कई नई इकाईयों को स्थापित करने के उद्देश्य से हाल ही के समय में कई निर्णय लिए हैं, जिनका उचित परिणाम अब दिखाई देने लगा है। इनमे शामिल हैं, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना, कंपनियों द्वारा अदा की जाने वाली कर की राशि को 25 प्रतिशत तक कम करना और इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना, ईज आफ डूइंग बिजिनेस के क्षेत्र में कई निर्णय लेना, आदि शामिल हैं। इसके चलते चीन से विनिर्माण के क्षेत्र में कई इकाईयां भारत में अपना कार्य प्रारंभ करने जा रही हैं। भारत में वर्तमान में चीन की तुलना में श्रम लागत भी बहुत कम है।

कोरोना महामारी के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों के कामकाज में एक विशेष परिवर्तन दिखाई दिया था। इन संस्थानों ने अपने कर्मचारियों को कार्यालय में न आकर, अपने घर से कार्य करने की छूट प्रदान की थी। यह परिवर्तन भारत के हित में कार्य करता दिख रहा है क्योंकि कर्मचारी यदि कार्यालय के स्थान से घर में ही कार्य कर सकता है तो उसे सिलिकोन वैली (केलीफोरनिया) में रहने की क्या जरूरत, वह तो मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली एवं पुणे में रहकर भी अपना कार्य बहुत आसानी से कर सकता है। इससे कंपनी को बहुत बचत हो सकती है क्योंकि अमेरिका में वेतन का स्तर भारत की तुलना में बहुत अधिक रहता है। इस प्रकार, बहुत बड़े स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियां अपने कार्य को मुंबई में निवास कर रहे भारतीय इंजिनीयरों से करवाने पर गंभीरता से विचार कर रही हैं। बल्कि कुछ कंपनियों ने तो तकनीकी कार्य को भारत में आउट्सॉर्स करना शुरू भी कर दिया है। इससे भारत में तकनीकी कार्य के क्षेत्र में रोजगार के बहुत अधिक अवसर निर्मित होने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। इससे भारत में अधिक आय वाले परिवारों की संख्या में भारी वृद्धि दृष्टिगोचर होगी। भारत में वर्तमान में 50 लाख परिवारों की आय 35000 अमेरिकी डॉलर से अधिक है। आगे आने वाले 10 वर्षों में यह संख्या 5 गुना बढ़कर 250 लाख परिवार होने जा रही है। इससे भारत में विभिन्न वस्तुओं का उपभोग द्रुत गति से बढ़ने जा रहा है। वर्ष 2022 की दीपावली के दौरान भारत में विभिन्न कंपनियों द्वारा निर्मित उत्पादों की हुई बिक्री, इस दृष्टि से सबसे स्पष्ट उदाहरण बताया जा रहा है। वर्तमान में भारत में प्रति व्यक्ति आय 2278 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष है जो 10 वर्षों के दौरान दुगनी से भी अधिक होकर 5242 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष हो जाएगी।

भारत को विदेशी आक्रांताओं एवं अंग्रेजी शासकों द्वारा पिछले 1000 वर्षों तक लगातार लूटा गया है। अब समय आ गया है कि भारत से लूटी गई संपत्ति को व्यापार के माध्यम से भारत में हस्तांतरित किया जाए। अतः भारत से लूटी गई संपत्ति के पुनः भारत में लौटने का समय अब आ गया है।

– प्रहलाद सबनानी

भारत में शीघ्र ही विनिर्माण क्षेत्र एवं पूंजीगत क्षेत्र में निवेश बहुत भारी मात्रा में बढ़ने जा रहा है। यह न केवल केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं विभिन्न सरकारी संस्थानों के माध्यम से होगा बल्कि निजी क्षेत्र एवं विदेशी निवेशकों द्वारा का भी इसमें भारी योगदान होगा। वर्तमान में, भारत में स्थापित विनिर्माण इकाईयों द्वारा उनकी उत्पादन क्षमता का 75 प्रतिशत के आसपास उपयोग किया जा रहा है। इस क्षमता के उपयोग होने के बाद

सामान्यतः नई विनिर्माण इकाईयों की स्थापना प्रारंभ हो जाती है। विनिर्माण इकाईयों की स्थापना, ऊर्जा की खपत में क्रांतिकारी सुधार, डिजिटल क्रांति एवं आधारभूत संरचना के क्षेत्र में अत्यधिक निवेश से भारत में विकास को रफ्तार मिलेगी।

अभी तक चीन पूरे विश्व के लिए एक विनिर्माण केंद्र बन गया था और अमेरिका उत्पादों के उपभोग का मुख्य केंद्र बन गया था। परंतु, आगे आने वाले 10 वर्षों के दौरान स्थिति बदलने वाली है। भारत चीन से भी आगे निकलकर विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने जा रहा है, जिससे भारत में उत्पादों का उपभोग तेजी से बढ़ेगा। अतः भारत न केवल उत्पादों के उपभोग का प्रमुख केंद्र बन जाएगा बल्कि विश्व के लिए एक विनिर्माण केंद्र भी बन जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत पूर्व में ही वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े केंद्र के रूप में विकसित हो चुका है।

भारत में वर्तमान में ऋणःसकल घरेलू उत्पाद अनुपात 57 प्रतिशत है। जबकि चीन में 225 प्रतिशत एवं अमेरिका में 200 प्रतिशत है। भारत में बैंकों द्वारा प्रतिभूति आधारित ऋण प्रदान किए जाते हैं अतः जिनके पास प्रतिभूति का अभाव होता है, उन्हें बैकों से ऋण लेने में परेशानी आती है, हालांकि केंद्र सरकार ने इस प्रकार के ऋणों पर अब अपनी गारंटी देना प्रारंभ किया है परंतु फिर भी बैंकों से ऋणों का उठाव तुलनात्मक रूप से कम ही है। अब आने वाले समय में शीघ्र ही भारतीय बैकों द्वारा रोकड़ प्रवाह आधारित ऋण प्रदान किए जाएंगे जिससे ऋणःसकल घरेलू उत्पाद अनुपात में तीव्र वृद्धि दृष्टिगोचर होगी। इस अनुपात में सुधार से न केवल उत्पादों की मांग में वृद्धि होती बल्कि बैकों के तुलन पत्र का आकार भी बढ़ेगा।

वर्तमान के सेवा क्षेत्र के निर्यात में वैश्विक स्तर पर भारत की हिस्सेदारी 3.7 प्रतिशत से बढ़कर 4.2 प्रतिशत पर पहुंच गई है। वहीं विनिर्माण क्षेत्र में यह 1.7 प्रतिशत से बढ़कर 1.9 प्रतिशत पर पहुंच गई है। वर्ष 2021–2030 के दौरान पूरे विश्व में बिकने वाली कुल कारों में से 25 प्रतिशत कारें भारत में निर्मित कारें होंगी। साथ ही, 2030 तक यात्री वाहनों की बिक्री में 30 प्रतिशत हिस्सा विद्युत चलित वाहनों का होगा, जिनका निर्माण भी भारत में अधिक होगा। इस प्रकार, वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों द्वारा किए जा रहे उत्पादों के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2.2 प्रतिशत से बढ़कर 4.5 प्रतिशत पहुंचने की प्रबल सम्भावना है।

वर्तमान में भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 900 वाट ऊर्जा का उपयोग होता है जबकि यह आगे आने वाले समय में बढ़कर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1450 वाट ऊर्जा होने जा रहा है, क्योंकि भारत में 6 लाख से अधिक गावों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है। हालांकि, फिर भी यह अमेरिका में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 9000 वाट ऊर्जा से बहुत कम ही रहने वाला है। परंतु, इसमें एक सिल्वर लाइनिंग जो दिखाई दे रही है वह यह है कि भारत में ऊर्जा के उपयोग में होने वाली वृद्धि का 70 प्रतिशत से अधिक भाग नवीकरण ऊर्जा के क्षेत्र से प्राप्त होने वाला है। अतः नवीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में भारत में निवेश बहुत बड़ी मात्रा में होने जा रहा है, इसमें विदेशी निवेश भी शामिल है। इस कारण से भारत में जीवाश्म ऊर्जा की मांग कम होगी और कच्चे तेल (डीजल, पेट्रोल) की मांग भी कम होगी। इससे पर्यावरण में भी सुधार दृष्टिगोचर होगा। इसके साथ ही, भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच जो वर्तमान में 30–40 प्रतिशत जनसंख्या तक ही सीमित है वह आगे आने वाले समय में बढ़कर 60–70 प्रतिशत जनसंख्या तक हो जाएगी।

उक्त वर्णित कारणों के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार वर्तमान स्तर 3.50 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2031 तक 7.5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच जाएगा और इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था अमेरिका एवं चीन के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। इसी प्रकार, भारत का पूंजी बाजार भी अपने वर्तमान स्तर 3.5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर पर 11 प्रतिशत की, चक्रवृद्धि की दर से, वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए अगले 10 वर्षों में 10 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच जाएगा। भारत में घरेलू मांग के लगातार मजबूत होने से एवं भारत में डिजिटल क्रांति के कारण भारतीय नागरिकों की आय में बहुत अधिक वृद्धि होने की सम्भावना के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास का पांचवा हिस्सा भारत से निकलेगा, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है।

प्रायः यह देखा गया है कि किसी भी देश में विकास चक्र, प्रारंभ होने के बाद, लगभग 70–80 वर्षों तक लगातार चलता है, हालांकि, इस खंडकाल में अर्थव्यवस्था में कुछ समस्याएं बीच के समय में आती रहती हैं। इस प्रकार, भारतीय अर्थव्यवस्था भी अब विकास चक्र के दौर में प्रवेश कर गई है इस दृष्टि से यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि "आर्थिक विकास की दृष्टि से अगला दशक ही नहीं बल्कि अगली पूरी सदी ही भारत की होगी"।

भारत को विदेशी आक्रांताओं एवं अंग्रेजी शासकों द्वारा पिछले 1000 वर्षों तक लगातार लूटा गया है। अब समय आ गया है कि भारत से लूटी गई संपत्ति को व्यापार के माध्यम से भारत में हस्तांतरित किया जाए। अतः भारत से लूटी गई संपत्ति के पुनः भारत में लौटने का समय अब आ गया है। ❑❑

प्रहलाद सबनानीः सेवानिवृत्त उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, ग्वालियर (म.प्र.)

संविधानः भारतीय जीवन दर्शन का ग्रंथ

भारत रत्न डॉ भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक और मुख्य वास्तुकार थे। उन्हें 1947 में संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारतीय संविधान यानि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का धर्मग्रंथ। जिसे डॉ. राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता वाली संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया। विश्व में भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान लागू होने के समय इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे, जो वर्तमान में बढ़कर 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हो गए हैं। साथ ही इसमें पांच परिशिष्ठ भी जोड़ दिए गए हैं, जो कि प्रारंभ में नहीं थे। संविधान सभा के सभी 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, जिनमें 15 महिलाएं भी शामिल थीं। इसके पश्चात 26 जनवरी को भारत का संविधान अस्तित्व में आया। इसे पारित करने में अभूतपूर्व 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा।

अभिभूत, भारतीय संविधान की प्रस्तावना विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। उद्देशिका के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है। प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है। इसी कारण यह 'हम भारत के लोग' इस वाक्य से प्रारम्भ होती है। संविधान भाग 3 व 4 नीति निर्देशक तत्त्व मिलकर संविधान हृदय, चेतना और रीढ कहलाते है। क्योंकि किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के लिए मौलिक अधिकार तथा नीति–निर्देश देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यथार्थ प्रदत्त अधिकार हमारे राष्ट्र के परम वैभव और जनकल्याण के लिए सारगर्भित हैं।

भारत का संविधान देश को संप्रभु, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणतंत्र घोषित करता है और अपने नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय की प्रत्याभूति देता है। जिस पर हमें असीम गर्व और गौरव है।

– हेमेन्द्र क्षीरसागर

विशेष, संविधान विधान भर नहीं है। यह भारतीय संस्कृति है। संविधान की आत्मा भारतीय है। इसलिए कि भारतीय, सभ्यता, संस्कृति से जुड़ा जो दर्शन है, हमारी जो उदात्त जीवन परम्पराएं हैं। संविधान उसे एक तरह से व्याख्यायित करता है। संविधान की नियमावली पर गूढ़ नजर डालें तो पाएंगे कि हमारे संविधान का आधार भगवान श्रीराम के आदर्शों का भी पालन करता है। उनके आदर्श समाज के प्रारूप को ही नहीं अपितु देश के

संविधान को तय करने और देश का बेहतर संचालन करने में भी प्रासंगिक हैं। ऐसा ही कुछ विचार आया होगा भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित पांडुलिपि पर चित्र बनाने वाले महान चित्रकार नंदलाल बोस के दिमाग में। 'सर्वधर्म समभाव' की विचारमाला को अपने मानकों में पिरोने वाले भारतीय संविधान की रिक्तता को पूर्ण करने के लिए उन्होंने ऐसे चित्र बनाए। जो भारत की गौरवगाथा के अहम अध्याय हैं।

स्तुत्य, भारतीय संविधान "हम भारत के लोगों" के लिए हमारी अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत जनित स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्श मूल्यों के प्रति एक राष्ट्र के रूप में हमारी प्रतिबद्धता का परिचायक है। संविधान की मूल प्रति पर नटराज भी हैं और श्रीकृष्ण भी। वहां शांति का उपदेश देते भगवान बुद्ध, महावीर, गुरु गोविंद सिंह भी हैं। हिंदू धर्म के एक और अहम प्रतीक शतदल कमल भी संविधान की मूल प्रति पर मौजूद है। स्वतंत्रता वीर शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, सुभाष चन्द्र बोस का ओज है। महाराजा विक्रमादित्य का दरबार, नालंदा विश्वविद्यालय की मुहर और पृथ्वी पर गंगावतरण आलोकित है। हालांकि ये तस्वीरें संविधान का हिस्सा नहीं हैं, फिर भी ये संविधान की मूल प्रति के अभिन्न अंग हैं। जो मूलतः भारतीय संविधान के भारतीय चैतन्य को ही परिभाषित करते हैं। भारतीय ज्ञान परम्परा के आलोक में निर्मित भारतीय संविधान भारत की ऋषि परम्परा का धर्मशास्त्र है। भारतीय जीवन दर्शन का ग्रंथ है। वस्तुतः भारत का संविधान देश को संप्रभु, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणतंत्र घोषित करता है और अपने नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय की प्रत्याभूति देता है। जिस पर हमें असीम गर्व और गौरव है। सत्यमेव जयते! ❑❑

हेमेन्द्र क्षीरसागर, पत्रकार, लेखक व स्तंभकार

(पृष्ठ 29 से आगे ...)

रोजगार के बरक्स ...

कृषि क्षेत्र में 13.4 करोड़ लोग ही रोजगाररत पाए गए। अक्टूबर 2022 में इस आंकड़े में थोड़ा सुधार जरूर हुआ और यह बढ़कर 13.96 करोड हो गया, लेकिन पिछले 4 सालों के दौरान अक्टूबर महीने में कृषि क्षेत्र में नौकरियों का यह न्यूनतम आंकड़ा है।

इसी तरह सेवा क्षेत्र में 79 लाख नौकरियां समाप्त हो गई, जिनमें 46 लाख ग्रामीण इलाकों में थी, और इसमें भी 43 लाख खुदरा क्षेत्र में थी। यानि सेवा क्षेत्र में लगभग आधी हिस्सेदारी रखने वाले खुदरा क्षेत्र की हालत भी ग्रामीण इलाकों में खराब हो रही है। देश की लगभग 70 फ़ीसदी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में खरीदारी की क्षमता घट रही है जिसके चलते मांग की दर भी नीचे आ रही है।

औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति भी अच्छी नहीं है। सबसे ज्यादा नौकरियां पैदा करने वाला निर्माण क्षेत्र ने भी अक्टूबर 2022 में दगा दिया, यहां 10 लाख से अधिक नौकरियां समाप्त हो गई हैं। सितंबर 2022 में शहरी क्षेत्र में कुल 12.6 करोड़ नौकरियां थी लेकिन अक्टूबर 22 में यह आंकड़ा बढ़कर 12.74 करोड हो गया है।

विश्व व्यापार संगठन ने भी रोजगार को लेकर नकारात्मक संदेश दिया हैं। संगठन के अनुमान के मुताबिक 2022 में वैश्विक व्यापार की वृद्धि दर 3.5 प्रतिशत रहेगी, जबकि 2023 में यह मात्र 1 प्रतिशत पर सिमट जाएगी। इसका मतलब है कि भारत का निर्यात लगातार कम होगा और यह कमी रोजगार बाजार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। हमारे पास सेवा क्षेत्र से थोड़ी बहुत उम्मीद है। लेकिन लगभग 140 करोड़ के देश की विशाल कामकाजी आबादी के लिए यह क्षेत्र कितना खाद पानी जुटा पाएगा, सहज ही समझा जा सकता है।

इस क्रम में मुनाफे के सिद्धांत पर धंधा करने वाले निजी क्षेत्र अब भी उदासीन है। कारपोरेट कर में कटौती, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन और अन्य राजकोषीय प्रोत्साहनों के बावजूद निजी क्षेत्र निवेश के लिए कदम नहीं बढ़ा रहा है। वित्तमंत्री बार–बार इसको रेखांकित करती रही है। वर्तमान का एक तथ्य यह भी है कि सरकार अप्रैल से अगस्त के दौरान 75 खरब रुपए के वार्षिक पूंजीगत निवेश लक्ष्य का मात्र 33.7 प्रतिशत ही खर्च कर पाई, जबकि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने अप्रैल से सितंबर के दौरान 66.2 खरब डालर के वार्षिक पूंजीगत निवेश लक्ष्य का 43 प्रतिशत खर्च किया। आखिर बिना निवेश बढ़ाए रोजगार कैसे पैदा होगा? वैश्विक मंदी की आशंका के बीच बेरोजगारी के संकट से घिरे भारत के नीति निर्माताओं को अपनी प्राचीन आर्थिक पद्धति को गौर करते हुए स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत स्वावलंबी भारत की पहल गंभीरता के साथ करनी होगी और अस्थिर वैश्विक आर्थिकी के मद्देनजर रोजगार की राह को आसान बनाने के लिए सरकार के संतुलनकारों को सूझबूझ के साथ अनुकूल नीति के साथ आगे बढ़ना होगा। वरना बेरोजगारों की बढ़ती तादाद के आगे रोजगार के मेले बौने ही बने रहेंगे। ❑❑

श्रद्धांजलि

श्री रवि विग

(सितंबर 1934 – दिसंबर 2022)

श्री रवि विग, स्वदेशी जागरण मंच के पूर्व सहसंयोजक, पीएचडी चेंबर आफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष एवं एसोचैम के पूर्व उपाध्यक्ष का देहावसान दिनांक 10 दिसंबर 2022 को फरीदाबाद (हरियाणा) में उनके निवास स्थान पर हुआ। श्री रवि विग पिछले कुछ समय से अस्वस्थ थे। अत्यंत मधुर भाषी और भारतीय उद्योग जगत में अत्यंत प्रतिष्ठित व्यक्तित्व, श्री रवि विग ने कई दायित्वों का निर्वहन करते हुए, उद्योग, समाज एवं वंचित वर्ग के लिए लगातार कार्य किया। वे कई वर्षों तक इंडियन एम्पलॉयर्स एसोसिएशन के भी अध्यक्ष रहे और भारतीय नियोजकताओं का आईएलओ समेत कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रतिनिधित्व किया।

हालांकि वे एक बड़े व्यवसायी रहे और लंबे समय तक पीएचडी चेंबर आफ कॉमर्स और एसोचैम सरीखे संगठनों में उच्च पदों पर आसीन रहे, लेकिन उसके बावजूद उनके हृदय में हमेशा गरीबों, वंचितों और बेरोजगारों के प्रति प्रेम एवं करुणा का भाव रहता था। नीति निर्माताओं के साथ अपनी बैठकों और कार्यक्रमों में इसी बात पर जोर दिया करते थे कि ऐसी नीतियां बननी चाहिए, जो रोजगार को बढ़ावा दें और मजदूरों एवं कार्मिकों के लिए कल्याणकारी हो। जिन संगठनों के साथ वे जुड़े थे, उनकी बैठकों में वे सदैव मजदूर हित की बात करते थे। उनका कहना था कि उद्योगपति केवल अपने बारे में विचार न करें, बल्कि उद्योग के साथ जुड़े हर व्यक्ति का कुशलक्षेम सुनिश्चित करें। वे उद्योगपति, मजदूर एवं सभी कार्मिकों और संबंधित पक्षों को सम्मिलित रूप से 'उद्योग परिवार' मानते थे। उनका कहना था कि हमें संपूर्ण उद्योग परिवार को ध्यान में रखना चाहिए।

एक कालखंड के लिए स्वदेशी जागरण मंच के तत्कालीन नेतृत्व की योजना से वे मंच के राष्ट्रीय सहसंयोजक नियुक्त हुए। उस दौरान व्यवसायी, उद्योगपति और उनके संगठन बड़ी संख्या में स्वदेशी जागरण मंच के संपर्क में आए। स्वदेशी जागरण फाउडेशन की एक इकाई सीबीएमडी के प्रबंध बोर्ड से भी वे जुड़े रहे और स्वदेशी मेला एवं नीतिगत सुधारों हेतु सम्मेलन तथा सेमिनार आदि के आयोजन में उनकी प्रमुख भूमिका रही।

समस्त स्वदेशी परिवार उनके दुखद निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना करता है। ईश्वर से यह भी प्रार्थना है कि वह स्वर्गीय श्री रवि विग जी के परिवार, सहयोगियों और प्रशंसकों को इस दुख को सहन करने की क्षमता प्रदान करें। ❑❑

भारत के युवा देश की आर्थिक प्रगति के सबसे बड़े इंजनः सतीश कुमार

स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह–संगठक सतीश कुमार ने कहा कि कौशल–विकास के द्वारा रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं। स्वरोजगार के द्वारा हम भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। वे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के गुलजारी लाल नंदा अध्ययन केन्द्र में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय तथा स्वदेशी जागरण मंच के संयुक्त तत्वावधान में स्वदेशी उद्यमिता दिवस के अवसर पर (कौशल, उद्यमिता व रोजगार हेतु) हरियाणा प्रांत व जिला रोजगार सृजन केन्द्र के शुभारंभ अवसर पर बतौर मुख्यातिथि बोल रहे थे।

इस मौके पर स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह–संगठक सतीश कुमार, सांसद नायब सिंह, थानेसर विधायक सुभाष सुधा, आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बलदेव धीमान, कुलपति प्रो. सोमनाथ सचदेवा, स्वदेशी जागरण मंच के सुधीर कुमार डॉ. मधुर की पुस्तक इंडियन इकोनॉमी का विमोचन भी किया। इससे पहले सभी अतिथियों ने केयूके श्री गुलजारी लाल नंदा अध्ययन केन्द्र में स्वावलम्बी अभियान के तहत कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

सतीश कुमार ने कहा कि भारत के युवा देश की आर्थिक प्रगति के सबसे बड़े इंजन है। हमें अपने युवाओं में कौशल विकास करना है। हरियाणा प्रांत भारत में रोजगार के सृजन करने में मदद करेगा। बेरोजगारी के समाधान का जो मॉडल हरियाणा प्रस्तुत करेगा वह मॉडल पूरे भारत वर्ष में उदाहरण बनेगा इसलिए हम पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन केन्द्र एक अह्म प्रक्रिया बनने वाली है।

यह केन्द्र बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए समाज व देश को कुछ करने की भावना के लिए नींव का काम करेगी। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी को लेकर सरकार एवं स्वदेशी जागरण मंच जैसी संस्थाओं द्वारा स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार एवं रोजगार सृजन के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन केन्द्र रोजगार क्रान्ति का केन्द्र बिन्दु है।

http://www.jagmarg.com/news/41398-india-youth-biggest-engines-of-economic-progress-of-the-country-satish-kumar.aspx

दत्तोपंत ठेंगड़ी की स्वदेशी जागरण मंच ने मनाई जयंती

स्वदेशी जागरण मंच चाईबासा द्वारा स्वदेशी जागरण मंच के संस्थापक श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का जन्म जयंती मुक बधिर विद्यालय में मनाया गया। जन्म जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। श्रद्धा सुमन अर्पण के पश्चात विद्यालय के बच्चों के बीच मिठाई, बिस्किट, चॉकलेट, फल का वितरण किया गया।

पूर्व विधायक पुत्कर हेम्ब्रम ने बताया कि स्वदेशी जागरण मंच की संस्थापक दत्तोपंत ठेंगडी अपने पूरे जीवन को समाज के लिए समर्पित कर दिया था उन्हीं के द्वारा स्वदेशी जागरण मंच का स्थापना किया गया और पूरे भारतवर्ष में स्वदेशी आंदोलन को एक नया आयाम दिया गया आज उन्हीं आंदोलनों का फल स्वरूप समाज में दिखता है कि स्वदेशी वस्तुओं एवं स्वदेश प्रेम के प्रति लोग आकर्षित होते दिख रहे हैं आज के श्रद्धांजलि अर्पण में प्रताप कटियार, राम अवतार राम रवि, कामेश्वर विश्वकर्मा ,दिलीप साव, पिंटू प्रसाद, शशिकांत ठाकुर, राहुल कारवा, शिव बजाज, अजय उपस्थित थे।

https://www.bhaskar.com/local/jharkhand/chaibasa/news/swadeshi-jagran-manch-celebrated-the-birth-anniversary-of-dattopant-thengadi-130664317.html

जीएम सरसों के पौधों को उखाड़े जाने की उच्चतम न्यायालय से मांग

आनुवांशिक रूप से संवर्धित (जीएम) फसलों के खिलाफ अभियान चलाने वाले संगठनों की तरफ से बुधवार को उच्चतम न्यायालय में कहा गया कि पर्यावरणीय परीक्षण मंजूरी मिलने के बाद जीएम सरसों के बीजों में अंकुरण शुरू हो चुका है और इनमें फूल आने के पहले ही इसके पौधों को उखाड़ दिया जाना चाहिए ताकि पर्यावरण को दूषित होने से रोका जा सके।

पर्यावरण मंत्रालय के तहत गठित जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (जीईएसी) ने गत 25 अक्टूबर को ट्रांसजेनिक सरसों हाइब्रिड किस्म डीएमएच–11 की पर्यावरणीय मंजूरी दी थी। इस मंजूरी के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अर्जी लगाई गई थी। जीएम फसलों के खिलाफ मुहिम चलाने वालीं कार्यकर्ता अरुणा रोड्रिग्स की तरफ से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ के समक्ष अपनी दलीलें रखीं। उन्होंने कहा कि जीएम सरसों की पर्यावरणीय मंजूरी के असर के बारे में किसी को भी अंदाजा नहीं है और यह देश भर में सभी सरसों बीजों को दूषित कर सकता है।

भूषण ने कहा, "जीएम सरसों के बारे में सिर्फ यही एक लाभ बताया जा रहा है कि नई हाईब्रिड किस्मों के विकास में इस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन एहतियाती उपाय करने का सिद्धांत इस मामले में बखूबी लागू होता है। जब किसी चीज को मंजूरी देने से नुकसानदेह असर पड़ने की आशंका हो तो वहां यह सिद्धांत लागू होगा।"

रोड्रिग्स के अलावा गैर–सरकारी संगठन 'जीन कैंपेन' ने भी अपनी एक याचिका में यह मांग की है कि समग्र, पारदर्शी एवं कड़े जैव–सुरक्षा प्रावधानों के बगैर किसी भी जीएम किस्म को पर्यावरण मंजूरी के लिए जारी न किया जाए। इसके साथ ही भूषण ने कहा कि वह जीएम सरसों का खुले पर्यावरण के बजाय नियंत्रित ग्रीन हाउस में परीक्षण किए जाने के खिलाफ नहीं हैं।

https://navbharattimes.indiatimes.com/business/business-news/demand-from-the-supreme-court-for-the-uprooting-of-gm-mustard-plants/articleshow/95892668.cms

स्वदेशी उद्यमिता दिवस कार्यशाला आयोजित

चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय एवं स्वावलंबी भारत अभियान के संयुक्त तत्वावधान में जिला रोजगार सृजन केंद्र भिवानी विषर पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बतौर मुख्यातिथि पूर्व कुलपति प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा, बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक एवं पूर्व मंत्री घनश्याम सर्राफ, संघ के विभाग संघचालक सत्यनारायण मित्तल एवं विभाग कार्यवाह सुरेश पाल, कृषि वैज्ञानिक प्रो. वेदप्रकाश लुहाच ने शिरकत की। कार्यशाला की अध्यक्षता कुलपति प्रो. राजकुमार मित्तल ने की। कार्यशाला की संयोजक डीन डॉ. सुनीता भरतवाल रही। मंच का संचालन डॉ. स्नेहलता शर्मा ने किया। कार्यशाला में बतौर मुख्यातिथि सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री पूर्व कुलपति प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा ने कहा कि आने वाले समय में भारत विश्व का सबसे अधिक वर्किंग एज वाला देश बनने जा रहा है। भारत हमेशा से स्वावलंबी रहा है। भारत में बेरोजगारी नाम का कोई शब्द नहीं था। प्राचीन समय से ही भारत मैन्युफैक्चरिंग में अग्रिम था। यदि हम स्वावलंबी बनेंगे तो पुनः भारत को प्रमुख आर्थिक शक्ति बना सकते हैं। उन्होंने निरमा कंपनी और भारत की सुप्रसिद्ध अमीर स्वावलंबी महिला किरण मजूमदार, लिज्जत पापड़ और अमूल डेयरी का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि भारत विश्व का सबसे

युवा देश है। हमें अपनी 37 करोड़ युवा शक्ति को स्वावलंबी बनाने के प्रयास करने होंगे, तभी भारत पुनः विश्व गुरू बन सकेगा। उन्होंने युवाओं से नौकरी पाने वाले नहीं, बल्कि दूसरों को नौकरी देने वाले बनें और अन्य लोगों के लिए रोजगार सृजन कर भारत निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। उन्होंने कहा कि हम अपनी जमीन, पानी और खाद्यान्नों का सदुपयोग करें। किसान मार्केटिंग के गुर सीखें और किसान अपनी आय को चार गुना कर सकते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों द्वारा साझा किया अनुभवों को पसंद किया और विश्वविद्यालय के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने सभी से स्वावलंबी भारत अभियान में पूर्ण सहभागिता का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि हम अपनी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करें। आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। हमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ने की जरूरत है, इससे रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकते हैं। भारत को आगे बढ़ाने के लिए हम विदेशी ब्रांडों की बजाए भारत निर्मित स्वदेशी वस्तुएं की अपनाएं।

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राजकुमार मित्तल ने कहा कि स्वावलंबी भारत अभियान में विश्वविद्यालय चरखी दादरी एवं भिवानी जिले को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

बाबू गेनू बलिदान दिवस

स्वदेशी जागरण मंच द्वारा प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी स्थानीय शिवालिक स्कूल (अमृतसर) में 12 दिसंबर को स्वदेशी दिवस मनाया गया। जिला संयोजक दीपक वर्मा जिला संयोजिका महिला कार्य नीलम महाजन ने भी बच्चों को महापुरुषों और देश भक्तों की कहानियां सुनने और पढ़ने के लिए कहा। इस अवसर पर स्कूल मैनेजर रवि सूरी, सह जिला महिला प्रमुख गीता अग्रवाल, ज्योति, मधु, अंजू, पदम कोहली, मोंटी, अंकित, साहिल, राजन, प्रदीप आदि मौजूद रहे।

जिला रोजगार सृजन केंद का उद्घाटन

दिनांक 11 दिसंबर 2022 को जोधपुर प्रांत के सिरोही जिले में जिला रोजगार सृजन केंद्र का उदघाटन वैदिक फिजिक्स के आचार्य स्वामी अग्निवृत और स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख डॉ धर्मेन्द्र दुबे के कर कमलों के द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता राजस्थान क्षेत्र के संयोजक डॉ सतीश आचार्य थे और अभियान की प्रस्तावना प्रांत अभियान समन्वयक प्रमोद पालीवाल ने रखी। विपुल इंडस्ट्री शिवगंज के प्रवीण अग्रवाल,पवार कास्टिंग लिमिटेड सिरोही के श्री विनोद पवार, क्षेत्रीय प्रबंधक मरुधरा ग्रामीण बैंक के हितेश राजपुरोहित, जोधपुर प्रांत संयोजक अनिल वर्मा, सह प्रांत संयोजक जयगोपाल पुरोहित, सह प्रचार प्रमुख मिथिलेश झा तथा जोधपुर प्रांत के सिरोही, पाली, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर जिले के दायित्ववान कार्यकर्ता सहित कुल 78 व्यक्ति उपस्थित रहे। उद्घाटन कार्यक्रम का संचालन राकेश पुरोहित,जिला संयोजक सिरोही ने किया।

सीतापुर में जिला रोजगार सृजन केंद खुला

स्वावलंबी भारत अभियान के सीतापुर जिला इकाई द्वारा गौरी शंकर महाविद्यालय, एलिया (सीतापुर) में जिला रोजगार सृजन केंद्र का उद्घाटन और शुभारम्भ किया। कार्यक्रम में डॉ अवधेश चंद्र त्रिपाठी (प्रबंधक, गौरी शंकर महाविद्यालय, सीतापुर) मुख्य अतिथि के रुप में उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री लालता बक्स सिंह, उद्योगपति तथा श्री सर्वेश त्रिपाठी, उद्योगपति, सीतापुर रहें।

श्री अनुपम श्रीवास्तव (प्रांत संयोजक, अवध प्रान्त, स्वदेशी जागरण मंच) मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे।

अध्यक्षता डॉ विमलेश तिवारी ने की, कार्यक्रम का संचालन श्री मोहित शुक्ल (जिला समन्यवक, स्वा. भा. अभियान) ने किया और आभार सुश्री वंदिता दीक्षित ने व्यक्त किया।

पोस्ट ऑफिस के जरिए कमाई का मौका

पोस्ट ऑफिस देश की सबसे भरोसेमंद सरकारी संस्थाओं में एक है। देश के करोड़ों लोग बचत करने के लिए पोस्ट ऑफिस पर भरोसा करते हैं। पोस्ट ऑफिस का नेटवर्क भी पूरे देशभर में फैला हुआ है, लेकिन अभी भी कई ऐसे इलाके हैं, जहां कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है। अपने नेटवर्क में विस्तार के लिए इंडियन पोस्ट ने कुछ समय पहले फ्रेंचाइजी सर्विस लॉन्च की थी।

पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट के अनुसार, दो प्रकार की पोस्ट ऑफिस फ्रेंचाइजी होती हैं। पहला आउटलेट फ्रेंचाइजी

और फ्रेंचाइजी पोस्टल एजेंट्स। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी फ्रेंचाइजी प्लान चुन सकते हैं। 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति फ्रेंचाइजी के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन करने वाले व्यक्ति का कोई भी परिवारजन पोस्ट डिपार्टमेंट मे कर्मचारी नहीं होना चाहिए। वहीं, किसी सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल से 8वीं पास होना चाहिए।

पोस्ट ऑफिस फ्रेंचाइजी के लिए कम से कम 200 स्क्वायर फीट का ऑफिस जगह होनी चाहिए। इसके अलावा 5000 रुपये का सिक्योरिटी अमांउट होना चाहिए। इसे जमा करने के बाद आपकी फ्रेंचाइजी खोलने के लिए अनुमति मिल जाएगी। फ्रेंचाइजी खोलने के बाद आप डाक टिकट, स्पीड पोस्ट, मनी ऑर्डर आदि कई तरह की सर्विस देकर कमाई कर सकते हैं। एक डाक पोस्ट की बुकिंग पर आपको 3 रुपये, स्पीड पोस्ट पर 5 रुपये, पोस्टेज स्टांप और स्टेशनरी की बिक्री पर आपको 5 प्रतिशत कमीशन मिलता है।

https://www.jagran.com/business/biz-post-office-franchise-scheme-eligibility-income-apply-online-process-23252054.html

डॉक्टरों ने जीएम सरसों को बताया पर्यावरण प्रतिरोधी

देशभर के 100 से अधिक डॉक्टरों ने जीएम सरसों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। डॉक्टरों ने पीएम मोदी से आग्रह किया है कि आनुवंशिक रूप से संशोधित सरसों डीएमएच–11 और इसकी दो पैतृक वंशावलियां जो हर्बिसाइड ग्लूफ़ोसिनेट–अमोनियम पर्यावरण के लिए प्रतिरोधी हैं। इन्हें पर्यावरण में नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

डॉक्टरों ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कहा कि इसका उपयोग व्यापक परीक्षण के बाद किया जाता है। व्यक्तिगत पसंद से इसका उपभोग किया जाता है। उन्होंने कहा, "जीएमओ की मध्यस्थता वाली दवाएं पर्यावरण में जीएमओ रिलीज के बिना निहित स्थितियों में तैयार की जाती हैं और इन्हें रोका या वापस बुलाया जा सकता है। फारुख ई. उदवाडिया, रमाकांत देशपांडे, गोपाल काबरा और रूपल एम दलाल ने पत्र पर अपने समर्थन के हस्ताक्षर किए हैं।

उन्होंने पत्र में लिखा कि कृषि और भोजन में जेनेटिक इंजीनियरिंग बेकाबू और अपरिवर्तनीय है, जो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को प्रभावित करती है। इसमें जीवित जीवों की खरीद और प्रसार की क्षमता के साथ संशोधित वंशानुगत सामग्री शामिल है, पर्यावरण में जारी होने के बाद जीएम सरसों और ग्लूफ़ोसिनेट का उपयोग फैल जाएगा। डॉक्टरों ने पत्र में कहा कि शाकनाशी–सहिष्णु जीएम फसलों के गंभीर नकारात्मक प्रभाव होते हैं इसके बारे में चेतावनी देना हमारी जिम्मेदारी है।

उन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने एक स्वतंत्र परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित होने तक सभी जीएम फसल रिलीज को रोकने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा, हम अनुरोध करते हैं कि देश में जीएम एचटी सरसों के आकस्मिक या जानबूझकर प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए सभी डीएमएच–11 सरसों को उखाड़ फेंका जाए। उन्होंने मांग की जीएम फसलों के अवैध प्रसार और शाकनाशी के उपयोग पर तत्काल रोक लगाई जाए। जीएम प्रौद्योगिकियों में परिणामी पौधे पर वांछित विशेषताओं को प्रदान करने के लिए पौधे के जीनोम में नए डीएनए को सम्मिलित करना शामिल है। जीन एडिटिंग तकनीकों का एक समूह है जो आनुवंशिक सामग्री के विशिष्ट टुकड़ों को स्थानांतरित करके, जोड़कर या हटाकर पौधे के डीएनए को बदल देता है।

https://hindi.krishijagran.com/news/doctors-write-letter-to-pm-modi-and-requests-pm-stop-release-of-gm-mustard-into-environment/

देश में चरम पर पहुंची रबी बुआई, गेहूं का रकबा 25 फीसद बढ़ा

चालू रबी सीजन में फसलों की बुआई अपने चरम पर पहुंच गई है। सीजन की प्रमुख फसल गेहूं का बुआई रकबा में 25 फीसदी से अधिक की वृद्धि हो गई है। जबकि घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की मांग को देखते हुए किसानों का रुझान खेती की ओर अधिक बढ़ा है। तिलहनी फसलों का बुआई रकबा 9 फीसदी तक अधिक हो गया है। सीजन की सभी फसलों का कुल बुआई रकबा 5.26 करोड़ हेक्टेयर पहुंच गया है। जबकि पिछले साल यह 4.57 करोड़ हेक्टेयर था।

कृषि मंत्रालय के जारी बुआई आंकड़े के मुताबिक रबी सीजन की सबसे बड़ी फसल गेहूं का बोआई रकबा 2.56 करोड़ हेक्टेयर पहुंच गया है। इसके मुकाबले पिछले साल की इसी अवधि में 2.03 करोड़ हेक्टेयर में गेहूं की खेती हुई थी। राज्यों से प्राप्त आंकड़े के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सामान्य से 20.09 लाख हेक्टेयर अधिक, मध्य प्रदेश में 13. 48 लाख हेक्टेयर, राजस्थान में 5.32 लाख हेक्टेयर, गुजरात में 2.61 लाख हेक्टेयर, महाराष्ट्र में 2.43 लाख हेक्टेयर, गुजरात में 2.61 लाख हेक्टेयर, महाराष्ट्र में 2.43 लाख हेक्टेयर, पंजाब में 1.32 लाख हेक्टेयर और हरियाणा में 1. 28 लाख हेक्टेयर अधिक रकबा में गेहूं की खेती हुई है। ❑❑

https://www.jagran.com/business/biz-rabi-sowing-reached-its-peak-in-the-country-wheat-area-increased-by-25-percent-emphasis-on-increasing-the-supply-of-urea-23251495.htm

स्वदेशी गतिविधियां

युवा स्वरोजगार मेला

बैठक, दिल्ली

सचित्र झलक

स्वावलंबी भारत अभियान

बैठकें

महाराष्ट्र

मोहाली, पंजाब

स्वदेशी पत्रिका डाक तिथि 15–16 दिसंबर 2022
एल.पी.सी. दिल्ली, दिल्ली पी.एस.ओ., दिल्ली आर.एम.एस. दिल्ली–06
प्रकाशन तिथि : प्रत्येक माह 10 तारीख

डाक पंजी. संख्या DL-SW/01/4074/2021-23
रजि. आर.एन.आई. पंजी. संख्या 64697/96

स्वदेशी गतिविधियां

स्वावलंबी भारत अभियान

जिला रोजगार सृजन केंद्र

सचित्र प्रलेख

आर.के.पुरम, नई दिल्ली

जिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु

चरखी दादरी, हरियाणा

कुरुक्षेत्र, हरियाणा

प्रकाशक व मुद्रक डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा स्वदेशी जागरण समिति के लिए कम्पीटेंट बाईन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली से मुद्रित और धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, रामाकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022 से प्रकाशित, संपादकः अजेय भारती